कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी, नगर विकास योजनायें, जयपुर।
(जयपुर विकास प्राधिकरण भवन जयपुर)

319

क्रमांक भू.अ./न.वि./96/ 750

दिनांक 26/7/90

विषय :- जयपुर विकास प्राधिकरण को अपने कार्यों के निर्वहन व विकास कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु ग्राम नायलाबास तहसील सांगानेर की भूमि अवाप्ति का अवार्ड
(पृथ्वीराज नगर योजना)

मुकदमा नम्बर
- - - - - - - - -
545/88
526/88
558/88
528/88
549/88
532/88
524/88
548/88
546/88
543/88
550/88
516/88
512/88

529/88
554/88
513/88 511/88
533/88
535/88
555/88
556/88
551/88
534/88
517/88
536/88
542/88
504/88
524/88
511/88
541/88
557/88

:- अवार्ड :-

1. उपरोक्त कार्यान्तर्गत भूमि अवाप्ति करने हेतु राज्य सरकार के नगरीय विकास एवं आवासन विभाग राजस्थान सरकार द्वारा केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम 1894 (1984) की केन्द्रीय भूमि अधिनियम संख्या -1 की धारा 4(1) के तहत क्रमांक प.6(15) नविआ/11/87 दिनांक 6-1-88 द्वारा विशेष प्रकाशन राजस्थान राज पत्र में दिनांक

320

7-7-88 को कराया गया ।

2· भूमि अवाप्ति अधिकारी, नगर विकास योजनाएं, जयपुर द्वारा 5 ए की की रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजने के उपरान्त राज्य सरकार के नगरीय विकास एवं आवासन विभाग राजस्थान सरकार द्वारा भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 6 के प्रावधानों के अन्तर्गत धारा 6 का गजट का प्रकाशन पत्र क्रमांक प·6/15/नविआ/3/87 दिनांक 31-7-89 को हुआ ।

3· धारा 6 का गजट राजस्थान राज पत्र मे प्रकाशित होने के पश्चात इस कार्यालय द्वारा सर्व साधारण की सूचनार्थ सार्वजनिक स्थानों पर (23·10·89 को) धारा 6 के नोटिसों का प्रकाशन कराया गया तथा दैनिक समाचार पत्रों के द्वारा दिनांक 12-8-1989 को नोटिसों का प्रकाशन कराया गया ।

4· राज्य सरकार के नगरीय विकास एवं आवासन विभाग द्वारा धारा 6 का प्रकाशन कराया गया । उसमे ग्राम माच्यावास तहसील सांगानेर की अवार्ड हेतु निम्न लिखित भूमि का माननीय उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश प्रभावी होने से अवार्ड पूर्व मे पारित नही किया गया । अब माननीय उच्च न्यायालय से डी·बी· मे विचाराधीन अपीलो का निर्णय दिनांक 22-4-96 को राज्य सरकार / जविप्रा के पक्ष मे हो गया । (उसे निर्णय की प्रति L.A.O. कार्यालय में 18·5·96 को प्राप्त हुई) अवाप्ति धारीत खसरा नम्बरान की अवाप्ति की स्थिति निम्न प्रकार से है :-

क्र·सं·	मु·नं·	खसरा नं·	अवाप्ति धीन भूमि रकबा बिघा	बिस्वा	खातेदारों का नाम मय पिता के नाम	
1·	545/88	156	0	01	दुर्गाचन्द पुत्र सोहन हि· 1/2 बाबू पुत्र बिरदा हि· 1/2 कोम जाट	
		157	0	14		
		158	01	11		
		159	00	12		
		183	00	05	,,	,,
		184	01	12	,,	,,
		185	02	17	,,	,,
		186	01	17	,,	,,
		188	00	02	,,	,,
		189	02	08	,,	,,
		190	02	00	,,	,,
		190/238	00	01	,,	,,
2·	526/88	84	24	12	नानगा लक्ष्मीनारायण, पिता भूरा, 1/3 गुल्ला पुत्र जीवन 1/3, धन्ना पु· छोटू 1/3	
		99	00	03		
		100	00	02	,,	,,
		101	00	16	,,	,,
		102	02	16	,,	,,
		103	02	01	,,	,,
		104	05-5	00	,,	,,
		221	00	01	,,	,,
		222	00	04	,,	,,
		223	00	05	,,	,,
		224	00	10	,,	,,
		225	00	04	,,	,,
		215/235	00	10	,,	,,
3·	558/88	150/257	11	10	कृष्णनारायण, धन्नालाल पुत्र सुन्दरलाल जाट रामकरण पुत्र भूरा राम जाट सोसर वगैरह मु·नं· 134	
		214/252	08	10		
		150/253	03	16		
			23	16		

4· 528/88 0

भूमि अवाप्ति अधिकारी
[illegible] योजनाएं
जयपुर

321

4. 528/88	59/1	03	14	बुधाराम क.म. 57
	92	01	06	रामनारायण पुत्र किस्या कौम जाट
	93	01	05	,, ,,
	94	00	01	,, ,,
	95	03	10	,, ,,
	96	04	09	,, ,,
	97	00	02	,, ,,
	98	00	16	,, ,,
	108	01	18	,, ,,
	133	27	15	छोटू पुत्र गीला कौम जाट
	215	02	09	
5. 549/88	208	04	08	हैथीराम पुत्र माध्या कौम जाट
	209	00	02	,, ,,
6. 532/88	114	00	19	किशनाराम छोटू राजू, रामलाल पिता छोटू
	008			
	118	00	17	,, ,,
7. 548/88	210	04	10	नौला, कल्याण, नाल्या पि. नानगा कौम जाट
	211	01	19	छुटा पुत्र महादेव कौम जाट
	212			छुटा पुत्र महादेव 8/9 रामनारायण, रामनारायण पि. कुन्दनलाल
		01	07	छुटा पुत्र महादेव, रामनारायण पुत्र छुटाराम 1/9 जाट
8. 546/88	168	00	07	दुर्गा/धन्दा पुत्र माध्या 1/2 नन्दा छुटा हि. 1/2 हि. 1/3, नौल्या, कल्याण, नाल्या पि. नानगा हि. 1/4, कालि: 1/3, छुटा पुत्र महादेव दीप हि. 1/4 छोगा पुत्र बीजू हि. 1/8, मोहीराम पुत्र नानगा हि. 1/8, तोला पट्टू पिता बिरदा हि. 1/4
9. 543/88	192	04	09	दुर्गा/धन्दा पुत्र तोला हि. 1/2 रा पुत्र लक्ष्मण तोलाराम पिता छुटा हि. 1/2
10. 550/88	162	00	04	छुटा पुत्र महादेव कौम जाट
	163	01	11	,, ,,
	164	08	09	,, ,,
	165	00	19	,, ,,
	179	04	03	,, ,,
	180	00	01	,, ,,
	193	08	01	,, ,,
	216	00	08	नौनगा, लक्ष्मीनारायण पिता छुटा 1/3
	217	03	08	गुल्ला पुत्र जीवन 1/3, दान्ना पुत्र छोटू 1/3
	218	03	08	,, ,,
	219	02	16	,, ,,
	220	01	13	
	194	07	03	छुटा पुत्र महादेव कौम जाट सा.देह
11. 516/88	26	00	10	गंगाराम छोटू, गोपी पुत्र नन्दा रैगर सा.देह
	27/1	07	00	,, ,,
	28	03	17	,, ,,
	29	00	01	,, ,,
	30	01	05	,, ,,
	31	02	06	,, ,,
	32	02	05	,, ,,
	33	02	10	,, ,,
12. 512/88	12	01	16	श्यामला पुत्र नन्दा कौम जाट सा.देह
	13	01	11	,, ,,
	44	02	17	,, ,,
	15	00	05	,, ,,
	16	00	06	,, ,,
	19/1	03	13	,, ,,
	20/3	01	01	,, ,,
	21	00	03	
	19/2	04	04	हीमराज पुत्र मोहीराम जाट
	20/2	04	11	,, ,,

भूमि अवाप्ति अधिकारी ... जयपुर

322

	19/3	04	11	दीनदयाल पुत्र रामचन्द्र ना. सं. संरक्षक माता प्रेम देवा रामचन्द्र
13. 529/88	64	00	02	मांग्या पुत्र बिरधा कोम जाट
	65	04	08	,, ,,
	68	00	16	,, ,,
	69	00	03	,, ,,
	70	05	07	,, ,,
	71	00	02	,, ,,
	72	07	09	,, ,,
	73	02	06	,, ,,
	77	11	00	,, ,,
				,, ,,
	78	05	16	रामसहाय नारायण, फूलचन्द पिता नानगराम
	79	08-5	10	,, ,,
	80	15	07	,, ,,
	81	02	07	,, ,,
	82			,, ,,
	83	03	00	मांग्या ब.नं. 64
	75/240	17	07	,, ,,
14. 554/88	35/241 35/247	07 02	16 04	मंगला पुत्र परवा पुत्र भौंराम व लाला पुत्र लाला पुत्र डूंगा कोम रेगर
15. 513/88 511/88	1	06	16	लल्लूराम, कानाराम, भौंराम नाबालिग, रामकरण श्रवण पिता चन्दा लाल कोम जाट सा. देह
	2	05	10	,, ,,
	3	01	01	,, ,,
	4	00	03	,, ,,
	5	10	05	,, ,,
	6	00	02	,, ,,
	7	01	02	,, ,,
	8	00	02	,, ,,
	9	02	12	,, ,,
	22	29	17	,, ,,
16. 533/88	122	00	01	किशनाराम नाबालिग पिता छोटू 1/40 किशन पुत्र छोटू 1/4 लाला कान्हा हि. 2/3 गिरीलाल गोविन्दराम रामेश्वर राधेश्याम पिता चन्दा 1/2
17. 535/88	115	00	19	किशना पुत्र छोटू जांगिड़ ब्रा. सा.
	119	00	02	,, ,,
	123	00	12	,, ,,
	215/239	08	18	,, ,,
	133/242	02	09	,, ,,
	215/243	03	07	,, ,,
18. 555/88	35/246	06	00	जोधा पुत्र गणेशा कोम रेगर
19. 556/88	35/245	15	00	भूराराम पुत्र धोताराम, मानाराम चन्दालाल पिता फतेराम कोम रेगर सा. देह
20. 551/88	198	10	14	झूथा पुत्र नन्दा कोम जाट
	202	00	03	,, ,,
	203	03	17	,, ,,
	204	04	01	,, ,,
	205	04	02	,, ,,
	206	01	13	,, ,,

- - - - - - - -

21. 534/88	124	00	04	किशना, रामे, नाबालिग पिता छोटू हि. 1/2 श्री किशन पुत्र छोटू हि. 1/2 किशनी नाबालिग पिता छोटू
22. 517/88	36	02	06	रामलाल पुत्र छोटूराम जांगिड़
	37	09	04	,, ,,
23. 536/88	125	03	02	किशना नाबालिग पिता छोटू कोम खाती
24. 542/88 544/88	152 154	03 01	04 10	श्रीया पुत्र बालू, हि. 1/2 मोहरिया रामजीवन पिता नानगा जाति जाट
	155	04	08	,, ,,

भूमि अवाप्ति अधिकारी
नगर विकास योजनाएं
जयपुर

323

	154/236	00	10	सीया जेठा ख०न० 152
544/88	153	00	03	सीया महादेव पुत्र बाबू 1/4, लोन, बाबू पिता बिरदा हि० 1/4, झूटा पुत्र भगिया हि० 1/2
25. 524/88	52	24	13	बाबू बुधाराम गोविन्दराम, पिता नानू 1/2 हिस्सेदार, मूलचन्द पिता धासी 1/2 जाट सा. , देह
	53	19	07	
	61	01	13	
	105	01	16	
	106	00	04	,, ,,
	107	05	05	,, ,,
	109	00	07	,, ,,
	110	06	10	,, ,,
	112	07	04	,, ,,
	227	00	04	,, ,,
	228	00	09	,, ,,
	229	04	05	,, ,,
	230	03	07	,, ,,
	231	03	14	,, ,,
		-----		,, ,,
26. 552/88	232	50	09	नानकराम, लखमीनारायण, पिता झूटा, हि० 1/6, गुलाब पुत्र जीवन टोन्डा पुत्र छोटू हि 1/6, बाबू बुधालाल, गोविन्द पिता नानू हि० 1/4, छातर मूलचन्द पिता धासी हि 1/4, जाति जाट
27. 541/88	134	15	03	धर्मीला पुत्र रामप्रताप हि० 1/2 तथा गणेशनारायण पिता मोहरिया हि० 1/ हि 1/2
	135	00	12	
	136	01	03	
	137	01	00	
	138	01	14	,, ,,
	139	00	09	,, ,,
	140	02	07	,, ,,
	141	00	03	,, ,,
	142	00	14	,, ,,
	143	01	14	,, ,,
	144	03	01	,, ,,
	145	00	02	,, ,,
	146	00	04	,, ,,
	147	05	01	,, ,,
	148	03	12	,, ,,
	149	00	13	,, ,,
	150	04	09	,, ,,
	151	07	08	,, ,,
	214	13	09	,, ,,
27-ब 557/88	72/249	2	17	रामेश्वर पुत्र चन्दालाल बागड़ा
	73/250	03	03	,, ,,
28. 511/88	1	06	16	लल्लूराम, कानाराम, भौड़, रामप्रताप, रामकरण, श्रवण, पिता चन्दा

1. मुकदमा नम्बर 545/88 खसरा नम्बर 156, 157, 158, 159, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191 187/239, 190/238,

---

1. केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 6 के राजस्थान राज पत्र दिनांक 31-7-1989 में ग्राम माच्यावास तहसील सांगानेर की भूमि खसरा नम्बर 156, 157, 158, 159, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 187/239, 190/238 रकबा क्रमश: (विस्वा

324

1 बिस्वा 1 बीघा 11 बिस्वा 12 बिस्वा, 5 बिस्वा 1 बीघा 12 बिस्वा, 2 बीघा 17 बि. 1 बीघा 17 बिस्वा 188 2 बीघा 3 बिस्वा, 187/239 बि. 2 बि. 2 बीघा 13 बि. 2 बीघा 5 बि. 1 बि. खातेदारान सोना पुत्र्या पिता बिरधा श्योचन्दा, पुत्र सोहन भूरा लक्ष्मण पैजा पिता छुट्टाराम कोम बाट को धारा 9 व 10 के अन्तर्गत नोटिस जारी किये गये। यहाँ तामील कुनिन्दा की रिपोर्ट एवं नोटिस पर प्राप्ति के हस्ताक्षरों के अनुसार नोटिस को एक पहल लक्ष्मण पुत्र छुट्टाराम एवं लालाराम पुत्र नारायण ने नोटिस को प्राप्त किया गया है। खातेदारों के उपस्थित नही होने पर पुनः नोटिस जारी किये गये। तामिल कुनिन्दा की हल्फिया रिपोर्ट के अनुसार खातेदार के वयस्क परिवार के सदस्य सीताराम पुत्र श्योचन्द ने नोटिस प्राप्त किया गया। इसके पश्चात रजिस्टर्ड नोटिस तामिल कराये गये। जो तामील की रसीद प्राप्त हो गयी। दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से भी नोटिसो की तामील कराई गई। दावेदारान की ओर से हीरालाल सैनी एडवोकेट उपस्थित हुए और आगामी पेशी पर वकालतनामा एवं क्लेम पेश करने के लिए समय चाहा गया। क्लेम पेश करने के लिए समय दिया गया। दिनांक 18-6-91 को सीताराम पुत्र श्योचन्दा उपस्थित हुए और क्लेम पेश करने के लिए समय चाहा गया। जिन्हें क्लेम पेश करने के लिए अन्तिम मौका दिया गया। इसके पश्चात लक्ष्मण उपस्थित हुए और क्लेम पेश करने के लिए समय चाहा गया। उन्हे समय दिया गया कि दिनांक 26-6-91 से पूर्व क्लेम पेश कर सकते है। दिनांक 27-6-91 को हल्फनामा पेश किया गया। जिसमे बताया गया कि दिनांक 26-6-91 को अवार्ड पारीत करने न करने एवं कब्जा न लेने बाबत स्थगन आदेश माननीय उच्च न्यायालय से जारी किये गये है। रिट याचिका नम्बर 3465/91 के द्वारा अवार्ड पारीत नही करने एवं कब्जा नही लेने बाबत स्थगन आदेश होने से पूर्व मे अवार्ड पारीत नही किया गया तथा खसरा नम्बर 191, 187, 187/239 का स्थगन आदेश नहो होने से इन खसरा नम्बरानका अवार्ड दिनांक 31-7-91 को घोषित किया जा चुका है। अतः इस अवार्ड में इनका अवार्ड घोषित करने की आवश्यकता नही है।

अब माननीय उच्च न्यायालय से डी.बी. मे विचाराधीन 16 अपीलों का निर्णय राज्य सरकार/जविप्रा के पक्ष मे हो गया। न्याय हित मे खातेदारान / हितधारान को [illegible] जारी किये गये। तामील कुनिन्दा की रिपोर्ट के अनुसार नोटिस खातेदार श्योचन्द को नोटिस तामील कराया गया। नोटिस को दैनिक समाचार पत्रों में भी इसका प्रकाशन कराया गया। खातेदार की ओर से गोरधन उपस्थित हुए और उनके खिलाफ एक तरफा कार्यवाही को मंसूख करने की प्रार्थना पेश की गई। एक तरफा कार्यवाही को मंसूख की गई। तथा खातेदार ने भूमि खसरा नम्बर 156 रकबा 1 बिस्वा, 157 रकबा 14 बिस्वा, 158 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा, 159 रकबा 12 बिस्वा, 183 रकबा 5 बिस्वा 184 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा, 185 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा, 186 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा, 188 2 बिस्वा, 189 रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा, ख.न. 190 रकबा 2 बि. ख.न. 187/237 रकबा 5 बि. 190/236 रकबा 1 बिस्वा कुल रकबा 14 बीघा 10 बि सन 1988 की हिसाब से 5 लाख रुपया प्रति बीघा के हिसाब से 14 बीघा 10 बिस्वा का मुआवजा राशि 72,50,000/- बनता है। एक पक्की जमीन से 100 फुट गहरी एवं से तले से 200 फुट बोरींग 6: इंची कनक्शन व कोठी घूमटी जिसके 50,000/- एक लाख बोरिंग का 50.000/- बिजली सेट सत्तर हजार घूमटी की कीमत पाच हजार इस प्रकार 2,25,000/- कोठी पाटोल व पटियों का बना हुआ मकान लगभग 60 पटियां का है। जिसकी कुल कीमत 18,000/-, जावे मे चारो तरफ कच्ची डोली मिटटी चार फुट चौड़ा तीन फुट ऊचा लगभग 1500 फीट लम्बा है। जमीन मे डली हुई सीमेन्ट के पाईप लाइन करीब 200 फीट लम्बी जिसकी कीमत 5,000/- क्यारे पाँच हजार रुपये 0 की दर पर एक हौद जिसकी कीमत 5.000/-, 42 पेड़ खेजड़े बबूल अरडू नीम आसापाला, नीबू, आदि की कीमत 40,000/- इस प्रकार कुल मुआवजा 75,68000/- की मांग की गई है। दावेदार

325

द्वारा दिनांक 7-6-98 को उक्त खसरा नम्बरान बाबत एक प्रार्थना पत्र पेश किया और निवेदन किया गया कि गोंदू की मृत्यु दिनांक 27-10-95 को हो चुका है। उसके एक मात्र एक पुत्री है। जिसका नाम केसर है जिसने प्रार्थी के पक्ष में दिनांक 22-1-96 को 5/- रुपये के पर प्रार्थी के हक में नामान्तरकरण खुलवाने के लिए सहमति दी है तथा गोंदू ने मरने से पूर्व में दिनांक 14-5-95 को प्रार्थी एवं उसकी दादी के हक मे वसीयत भी लिखी थी। प्रार्थना पत्र के साथ भुगतान किताब का लगान पर्चा, शपथ पत्र श्रीमति केसर पत्नि कल्याण मृत्यु प्रमाण पत्र नामान्तरकरण की प्रति, विवाहपत्रिका की पत्र की फोटो प्रति मिलान खसरा नम्बरान की प्रति पेश की, एक प्रार्थना पत्र श्रीमति केसर देवी को भुगतान नहीं करने के सम्बन्ध मे नहीं करने बाबत स्थगन की फोटो प्रतियाँ पेश की गई है। दिनांक 13-6-96 को प्रार्थी द्वारा रिहायशी मकान पशुओं के बाडे एवं चारा रखने के मकान करीब एक बीघा भूमि से बने हुए हैं उक्त भूमि को यथा वत छोड़ दिया जावे एवं शेष भूमि का 10% भूमि विकसित देने हेतु निवेदन किया है। जो विकसित भूमि भी दी जावे वह उनको भूमि आस पास ही देने की मांग की गई है।

2. मुकदमा नम्बर 526/88 खसरा नम्बर 84, रकबा 24 बिस्वा 12 बिस्वा, 99 रकबा 3बि. 100 रकबा 2बि. 101 2बि. 101 रकबा 16बि. 102 रकबा 2बि. 16बि. 103 रकबा 2बि. 1बि. 104 रकबा 5 बिस्वा, 221 रकबा 1बि. 222 रकबा 4बि. 223 रकबा 5बि. 224 रकबा 10बि., 225 रकबा 4बि. 215/235 रकबा 10बि. 216 रकबा 3बि. 217 रकबा 3बि. 8बि. 218 रकबा 3बि. 8बि., 219 रकबा 2 बिस्वा 16बि., 220 रकबा 1 बिस्वा 13 बिस्वा -----------------

[illegible]

केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 6 के राजस्थान राज पत्र दिनांक 31-7-1989 में, ग्राम माच्यावास तहसील सांगानेर की भूमि खसरा नम्बर 84, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 221, 222, 223, 224, 225, 215/235, 216, 217, 218, 219, 220, नानगा/मोना रायण पिता हुआ हि. 1/3, गुल्ला पुत्र जीवन 1/3 धन्ना पुत्र छोटू हि. 1/3 1/3 की खातेदारी में दर्ज है। खातेदारों/दावेदारों को केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 9 व 10 के अन्तर्गत नोटिस जारी किये गये। तामिल कुनिन्दा की रिपोर्ट के अनुसार नोटिसों को खातेदारों को तामील कराया गया। उपस्थित नही होने पर नोटिस रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये तथा दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से भी नोटिसों को तामील कराया गया। दावेदार की ओर से श्यामलाल शर्मा एडवोकेट उपस्थित होकर दिनांक 13-6-91 को एक प्रार्थनापत्र कर मे आपत्तियां प्रस्तुत की तथा अवगत कराया की पृथ्वीराज नगर योजना की मे ग्राम माच्यावास को हटाया जावे। जिसे निरस्त किया गया तथा आदेश दिया गया कि क्लेम पेश करना चाहे तो कर सकते है। दिनांक 27-6-91 को भवँरलाल की ओर से शपथ पत्र पेश किया गया कि रिट याचिका नम्बर 3559/91 के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय से अवार्ड पारीत नही करने बाबत स्थगन आदेश प्रभावी है। अतः रिट याचिका नम्बर 3559/91 के द्वारा अवार्ड पारीत करने न करने एवं कब्जा न लेने बाबत स्टे होने से पूर्व में अवार्ड पारीत नही किया गया। तथा खसरा नम्बर 55, 56 का स्टे नही होने से अवार्ड दिनांक 31-7-91 को अवार्ड घोषित किया जा चुका है। अब माननीय उच्च न्यायालय से डीबी से 116 अपीलों का निर्णय राज्य सरकार/जेडीए के पक्ष में निर्णय हो गया है। न्याय हित में खातेदारान/दावेदारा द्वारा क्लेम पेश करने के लिए नोटिस जारी किये गये। तामील कुनिन्दा की रिपोर्ट के अनुसार नोटिस तामील हो गया तथा उपस्थित नही होने पर दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से भी सूचना का प्रकाशन कराया गया। लेकिन उनकी ओर से कोई भी उपस्थित नही हुए और नाही क्लेम पेश किया। अतः उनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये।

भूमि अवाप्ति अधिकारी नगर विकास न्यास

326

3. मुकदमा नम्बर 558/88 खसरा नम्बर 150/257 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा, 214/252 रकबा 6 बीघा 10 बिस्वा, 150/253 रकबा 3 बीघा 16 बिस्वा

केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 6 के राजस्थान राज पत्र दिनांक 31-7-89 में भूमि खसरा नम्बर 150/257 प्र भूना रायण धन्नालाल पुत्र कुन्दर लाल के नाम खातेदारी में दर्ज है । 214/252 रकबा 6 बीघा 10 बिस्वा रामकरण पुत्र बुधाराम कौम जाट के नाम, खसरा नम्बर 150/253 रकबा 3 बीघा 16 बिस्वा छीतर वगैरा क.नं. 134 के नाम खातेदारी में दर्ज है । केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम के के अन्तर्गत खातेदारान को धारा 9 व 10 के तहत नोटिस जारी किये गये । तामिल कुनिन्दा की रिपोर्ट के अनुसार नोटिस को खातेदारों को तामील कराया गया । अन्य खातेदारान को ने नोटिस लेने से मना करने पर मौके पर दस्तयान्दगी द्वारा नोटिस को तामील कराया गया । दिनांक 27-3-91 को दावेदारान रामकरण पुत्र धन्नालाल, चम्पालाल, पुत्र कुन्दरलाल, रामकरण पुत्र बुधा की ओर हीरालाल सैनी उपस्थित होकर जाहिर किया कि वकालत नामा एवं क्लेम पेश करने के लिए समय दिया जावे । वकालत नामा व क्लेम पेश करने का समय दिया गया । खातेदारों की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुए । अतः दिनांक 20-6-91 को एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये । दिनांक 25-6-91 को खातेदार धन्ना लाल से उपस्थित होकर जाहिर किया गया कि माननीय उच्च न्यायालय से अवार्ड पारित नहीं करने एवं कब्जा न लेने बाबत स्थगन आदेश प्रदान की है । रिट याचिका नम्बर 3444/91 से स्थगन आदेश होने से पूर्व में अवार्ड पारित नहीं किया गया । अब माननीय उच्च न्यायालय से डी.बी. में विचाराधीन विशेष अपीलों का निर्णय राज्य सरकार/ जविप्रा के हित में होने से न्याय हित में क्लेम पेश करने के लिए नोटिस जारी किये गये । उपस्थित नहीं होने पर उनके विरुद्ध दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से नोटिसों का प्रकाशन कराया गया । खातेदार ने नोटिस में ही यह अंकित किया गया है कि क्लेम पेश करने के लिए कम से कम 2 माह का समय दिया जावे । दो माह का समय दिया जाना या नोटिस में यह लिखने से क्लेम पेश करने का औचित्य पूरा नहीं हो जाता है । अतः उनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये जाते हैं ।

4. मुकदमा नम्बर 528/88 खसरा नम्बर ~~89/1 रकबा 8 बीघा 14 बिस्वा~~ ख.न. 92 रकबा 1 बी. 6 बि., 93 रकबा 1 बीघा 5 बि., 94 रकबा 1 बिस्वा, 95 रकबा 3 बी. 10 बि., 96 रकबा 1 बी. 9 बि. 97 रकबा 2 बिस्वा, 98 रकबा 16 बिस्वा, 108 रकबा 1 बी. 18 बि., 133 रकबा 27 बी. 15 बिस्वा, 215 रकबा 2 बी. 9 बि.

केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 6 के राजस्थान राज पत्र दिनांक 31-7-89 में ग्राम माण्यावास तहसील सांगानेर की भूमि खसरा नम्बर 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 108, रामनाथ पुत्र धिस्या कौम जाट के नाम खातेदारी में दर्ज है । तथा ख.न. 133 रकबा 27 बीघा 15 बिस्वा, 215 रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा लादू पुत्र धीसा कौम जाट के नाम खातेदारी में दर्ज है । केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 9 व 10 के अन्तर्गत नोटिस जारी किये गये । तामिल कुनिन्दा की रिपोर्ट के अनुसार नोटिसों की तामील कराये गये । दिनांक 13-2-90 को रामनाथ पुत्र धीसा की ओर से वकालतनामा पेश किया गया । अन्य दावेदारान को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये जो प्राप्ति की रसीद प्राप्त हो गई है । अन्य दावेदारान को जारी नोटिस भोलाराम पुत्र नन्दाराम व रमेश चन्द शिवानन्द वशिष्ठ को नोटिस तामील कराये गये । खातेदार रामनाथ, लादू पुत्र धासी की ओर से श्यामलाल शर्मा एडवोकेट उपस्थित होकर आपत्तियां पेश की तथा यह भी अवगत कराया गया है कि धासी के फौत होने पर उनके दोनों पुत्रों के नाम अलग 2 खातेदारी हो गयी । दिनांक 20-6-91 को नन्दाराम पुत्र सेवा, भोलाराम पुत्र दूदा, व्यास ने दरखास्त दरखास्त के साथ पंचायत का विक्रय विलेख ग्राम पंचायत माण्यावास की फोटो प्रति पेश

327

की । प्रभुदयाल पुत्र नन्दाराम ने भी पंचायत का पट्टा पेश किया । पंचायत द्वारा जो विक्रय किया गया है । उसमे खसरा नम्बर अंकित नही है तथा आबादी भूमि का पट्टा है । अत: यह इस भूमि से सम्बन्धित नही है । दावेदार लादु ने दिनांक 27-6-91 को हल्फनामा के साथ यह अंकित किया है कि रिट याचिका नम्बर 3384/91 एवं3504/91 के द्वारा अवार्ड पारीत न करने एवं कब्जा न लेने बाबत स्थगन आदेश [illegible] जारी किये गये । अब माननीय उच्च न्यायालय से डी.बी. की 116 अपीलो का निर्णय राज्य सरकार /न्यास के पक्ष मे हो गया है । न्याय हित दावेदारान / हितधारान को क्लेम पेश करने के लिए व्यापक प्रसारित समाचार पत्रों के माध्यम से नोटिस का प्रकाशन कराया गया । दावेदार रामनाथ पुत्र धीसा ने दिनांक 20-6-96 को एक दरखास्त कर निवेदन किया 1000/- रूपये प्रति वर्ग गज की दर से मुआवजा राशि की मांग तथा 50./. प्रतिशत के.डी.ए. हमे दे दे एवं 50./. हमे दे दिया जावें । इनकी जो मांग है वह नियमानुसार मांग नही है एवं 1000/- गज के भाव से जो मांग की इसके सबुत मे किसी प्रकार के ठोस दस्तावेजात पेश नही किये गये । खसरा नम्बर 133 एवं 215 के खातेदार /दावेदार ने भी 1000/- रूपये प्रति वर्ग गज के भाव एवं 50./. प्रतिशत जमीन देने के लिए प्रार्थना की है । जो न्याय संगत नही है । तथा बाजार भाव के सम्बन्ध मे ठोस दस्तावेजात पेश नही किये गये । अत: इनकी मांग नियमानुसार नही है ।

5. मुकदमा नम्बर 549/88 खसरा नम्बर 208 रकबा 4बि. 8बिस्वा,209रकबा 2बिस्वा

- -

केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 6 के राजस्थान राज पत्र मे दिनांक 31-7-1989 मे ग्राम माच्यावास तहसील सांगानेर की भूमि खसरा नम्बर 208 रकबा 4बीघा 8 बिस्वा, खसरा नम्बर 209 रकबा 2 बिस्वा श्योराम पुत्र भाग्या कोम जाट के नाम खातेदारी मे दर्ज है । खातेदार को केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 9 व 10 के अन्तर्गत नोटिस जारी किये गये । तामील कुनिन्दा की हाल्फया रिर्पोट के अनुसार कजो 8 पुत्र [illegible] लक्ष्मण पुत्र [illegible] राम ने नोटिस प्राप्त किया गया । लेकिन उनके उपस्थित नही होने पर दुबारा से नोटिस जारी किये गये । तामील कुनिन्दा की हल्फिया रिर्पोट के अनुसार खातेदारों के द्वारा नोटिस नही लेने पर दो गवाहो के सामने दस्पादगी द्वारा नोटिस को तामील कराया गया । दिनांक 13-6-91 को भी उपस्थित हुए तथा क्लेम पेश करने के लिए समय चाहा गया । लेकिन क्लेम पेश नही किया गया । रिट याचिका नम्बर 3446/91 के द्वारा खसरा नम्बर 208एवं 209 से अवार्ड पारीत न करने एवं कब्जा न लेने बाबत स्थगन आदेश होने से पूर्व मे अवार्ड पारीत नही किया गया । अन्य खसरा नम्बरा [illegible] 175,176 181,182,197,199,200 का अवार्ड दिनांक 31-7-91 को घोषित किया जा चुका है । अब माननीय उच्च न्यायालय मे विचाराधीन 116 अपीलो का निर्णय राज्य सरकार/ न्यास के हित मे निर्णय हो गया है । अत: न्याय हीत मे क्लेम पेश करने केलिए खातेदारों को नोटिसो का प्रकाशन कराया गया । दावेदार श्योराम की ओर से दरखास्त पेश की गई । क्लेम 1000/- रूपये प्रति वर्ग एवं 50./. विकसित योजना मे भूखण्ड देने के लिए निवेदन किया तथा 50./. केडीए. को देने के लिए निवेदन किया गया है । खातेदार द्वारा 1000/- प्रतिवर्ग गज की जो मांग की गई है । उसके ताईद मे ठोस दस्तावेजात पेश नही किये गये । अत: उनकी यह मांग निराधार व बेबुनियाद है । जो मान्य नही है ।

6. मुकदमा नम्बर 532/88 खसरा नम्बर 114 रकबा 19 बिस्वा, 118 रकबा 17 बिस्वा

- -

केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 6 के राजस्थान राज पत्र दिनांक 31-7-1989 मे ग्राम माच्यावास तहसील सांगानेर की भूमि खसरा नम्बर 114 रकबा 19 बिस्वा, 118 रकबा 17बिस्वा किशना राजु, रूगनाथ, पिता छोटू

328

के नाम खातेदारी में दर्ज है । केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 9 व 10 के अन्तर्गत नोटिस जारी किये गये । तामील कुनिन्दा की रिपोर्ट के अनुसार नोटिस को लेने से मना करने पर दो गवाहों के समक्ष सामने मौके पर चस्पान्दगी द्वारा तामील कराया गया । खातेदार किशना वगैरा की ओर से श्यामलाल शर्मा एडवोकेट उपस्थित होकर एक प्रार्थना पत्र पेश किया तथा निवेदन किया गया कि अगली पेशी पेर वकालतनामा व पेश कर दिया जावेगा । दुबारा से उपस्थित नहीं होने पर दैनिक समाचार पत्रों में नोटिसों का प्रकाशन कराया गया । दावेदारों की ओर से राम सहाय उपस्थित । क्लेम पेश करने के लिए समय चाहा गया । लेकिन उनके द्वारा क्लेम पेश नहीं किया गया । माननीय उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश होने से पूर्व में अवार्ड पारित नहीं किया गया । अब माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन 116 अपीलों का निर्णय राज्य सरकार/ जविप्रा के पक्ष में निर्णय दिनांक 22-4-96 को हो गई है । अत: न्याय हित में क्लेम पेश करने के लिए नोटिस जारी किया गया एवं दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से भी नोटिस जारी किये गये । लेकिन उनकी ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुए एवं नहीं क्लेम पेश किया गया।

उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये ।

7. मुकदमा नम्बर 548/88 खसरा नम्बर 210 रकबा 4बि. 10 वि. ख.न. 211 रकबा 1बि. 19 वि. ख.न. 212 रकबा 1बि. 87 बिस्वा

केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 6 के राजस्थान राज पत्र दिनांक 31-7-89 में ग्राम माच्यावास तहसील सांगानेर में भूमि खसरा नम्बर 210 रकबा 4बीघा 10 बिस्वा काश्तकार नोला, कल्याण, भोल्या पिता नानगा कोम जाट हि. बराबर खसरा नम्बर 211 रकबा 1बीघा 19 बिस्वा झूथा पुत्र महादेव के नाम खातेदारी में दर्ज है । खातेदारों /हितधारों को केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 9 व 10 के तहत नोटिस जारी किये गये । तामिल कुनिन्दा की हल्फिया रिपोर्ट के अनुसार नोटिस खातेदारों के लेने से मना करने पर दो स्वतंत्र गवाहों के सामने मौके पर चस्पान्दगी द्वारा नोटिसों को तामील कराया गया । उपस्थित नहीं होने पर दुबारा से नोटिस जारी किये गये । नोटिस लेने से मना करने पर चस्पान्दगी द्वारा नोटिस को तामील कराया गया। रजिस्टर्ड ए.डी. से भी नोटिसों को तामील कराया गया । खातेदार/ दावेदार के उपस्थित नहीं होने पर दैनिक समाचार पत्रों में भी, प्रकाशन कराया गया। दिनांक 13-6-91 को हितधारी/खातेदार लक्ष्मण उपस्थित हुए तथा क्लेम पेश करने के लिए समय चाहा गया । उन्हे क्लेम पेश करने के लिए अन्तिम समय दिया गया । दिनांक 20-6-91 को उनकी ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुए तब उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये । दिनांक 25-6-91 को भैरूराम उपस्थित होकर कहा कि माननीय उच्च न्यायालय से रिट याचिका नम्बर 3444/91 के द्वारा अवार्ड व कब्जा बाबत स्थगन आदेश हो गया है । अवलोकन से रिट याचिका नम्बर 3444/91 एवं 3746/91 से माननीय उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश प्रभावी होने से पूर्व में अवार्ड पारित नहीं किया गया । अब माननीय उच्च न्यायालय से डी.बी. में विचाराधीन 116 अपीलों का निर्णय राज्य सरकार/ जविप्रा के पक्ष में हो गया है । अत: न्याय हित में खातेदारान / हितधारान को दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से नोटिसों का प्रकाशन कराया गया । खातेदारों की ओर से दिनांक एक प्रार्थना पत्र पेश कर 50// प्रतिशत भूमि विकसित आवंटन करने तथा 1000/- प्रति वर्ग गज के हिसाब से मुआवजा राशि की मांग की गई है । इसकी ताईद में कोई बाजार दर की बाबत किसी भी प्रकार के दस्तावेजात पेश नहीं किये गये । अत: इनके द्वारा जो क्लेम मांगा गया है । वह बेबुनियाद एवं निराधार है । अत: इसे स्वीकार नहीं किया जाता है ।

8. मुकदमा नम्बर 546/88 खसरा नम्बर 168 रकबा 7 बिस्वा, ---

भूमि अवाप्ति अधिकारी
नगर विकास योजना
जयपुर

329

केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 6 के राजस्थान राज पत्र दिनांक 31-7-89 मे ग्राम मांग्यावास तहसील सांगानेर की भूमि खसरा नम्बर 168 रकबा 7 बिस्वा यादवन्दा पुत्र मांग्या, नन्दा पुत्र... हि 1/8 हि 1/8, मोल्या कल्याण, भौर्या पिता नानगा हि 1/4 का 1/8 छुट्टा पुत्र महादेव हि 1/4 भौंरा पुत्र बालू हि 1/8 सोहन, पाबू पिता बिरदा हि 1/4 कौम जाट के नाम खातेदारी मे दर्ज है । केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 9 व 10 के अंतर्गत नोटिस जारी किये गये । तामील कुनिन्दा की हौल्ड्या रिपोर्ट के अनुसार खातेदारान/हितधारान को नोटिस तामील हो गया तथा उपस्थित नही होने पर रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये । तथा दैनिक समाचार पत्रों के द्वारा नोटिसों को तामील कराया गया । खातेदारान की ओर से भी उपस्थित होकर क्लेम पेश करने के लिए समय चाहा गया । जिन्हे अन्तिम अवसर क्लेम पेश करने के लिए दिया गया । इसके पश्चात समय नही दिया जावेगा । खसरा नम्बर 160, 176, 177, 178, 195 का अवार्ड पूर्व मे घोषित किया जा चुका है तथा खसरा नम्बर 168 का रिट याचिका नम्बर 3446/91 के द्वारा स्थगन आदेश प्रभावी होने से अवार्ड पारीत नही किया गया । अब माननीय उच्च न्यायालय मे विचाराधीन डी.बी. मे 186 116 अपीलो का निर्णय राज्य सरकार / जविप्रा के हित मे दिनांक 22-4-96 को हो गया है । अतः न्याय हित खातेदारान हितधारान को क्लेम पेश करने के लिए दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से तामील कराया गया । खातेदारों की ओर से कोई भी उपस्थित नही हुए । उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये ।

9. मुकदमा नम्बर 543/88 खसरा नम्बर 192 रकबा 4 बीघा 9 बिस्वा

केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 6 के राजस्थान राज पत्र के दिनांक 31-7-1989 मे ग्राम मांग्यावास तहसील सांगानेर की भूमि खसरा नम्बर 192 रकबा 4 बीघा 9 बिस्वा यादवन्दा पुत्र सोहन हि 1/2 भूरा, लक्ष्मण, सैवाराम, पिता छुट्टा हि बराबर हि 1/2 कौम जाट सा की खातेदारी मे दर्ज है । केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 9 व 10 के अन्तर्गत खातेदारों को नोटिस जारी किये गये । तामिल कुनिन्दा की रिपोर्ट के अनुसार खातेदारों को स्वयं एवं खातेदार के पुत्रों को नोटिस तामील कराया गया । उपस्थित नही होने पर रजिस्टर्ड नोटिस भी जारी किये गये । तामील शुदा रसीदे प्राप्त हो गयी है । दिनांक 20-6-91 को खातेदारों के उपस्थित नही हो होने पर उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये । रिटयाचिका 3465/91 से स्थगन आदेश अवार्ड पारीत न करने एवं कब्जा न लेने बाबत प्रभावी होने से पूर्व मे अवार्ड पारीत नही किया गया । अब माननीय उच्च न्यायालय से डी.बी. मे विचाराधीन अपीलो का निर्णय राज्य सरकार /जविप्रा के पक्ष मे होगया । न्याय हित मे खातेदारो को क्लेम पेश करने के लिए नोटिस /दैनिक समा चार पत्रों के माध्यम से नोटिस तामील कराया गया । उनकी ओर से कोई भी उपस्थित नही हुए तथा नही क्लेम पेश किया गया । अतः उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये ।

10. मुकदमा नम्बर 550/88 खसरा नम्बर 162 रकबा 4 बिस्वा, 163 रकबा 1बि. 1बि.

330

ख•न• 164 रकबा 8बि• 9वि• ख•न• 165 रकबा 19 बिस्वा, ख•न• 179 रकबा 4बि• 3वि• ख•न• 180 रकबा 1 बिस्वा, ख•न• 193 रकबा 8बि• 1वि•, ख•न• 194 रकबा 7बि• 8 3वि• धूला पुत्र महादेव कौम जाट की खातेदारी में दर्ज है । केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 9 व 10 के अन्तर्गत नोटिस जारी किये गये । तामील कुनिन्दा की रिपोर्ट के अनुसार नोटिस लक्ष्मण पुत्र धूला राम को तामील कराया गया । दिनांक 13-6-91 को लक्ष्मण उपस्थित । क्लेम पेश करने के लिए समय चाहते है । जो अन्तिम मौका दिया गया । दिनांक 20-6-91 को दावेदारों की ओर से कोई भी उपस्थित नही हुए । उनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये । रिट याचिका नम्बर 3559/91 के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय से अवार्ड पारित करने एवं कब्जा न लेने बाबत स्थगन आदेश प्रभावी होने से पूर्व में अवार्ड जारी नही कियागया । अब माननीय उच्च न्यायालय से डी•बी• मे विचाराधीन 116 केस अपीलो का निर्णय राज्य सरकार / जविप्रा के पक्ष में निर्णय दिनांक 22-4-91 को हो गया है । न्याय हित में दावेदारों को क्लेम पेश करने के लिए नोटिस/ दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से नोटिस तामील कराये गये । दावेदारों ने दिनांक 5-6-96 को दरख्वास्त पेश कर निवेदन किया कि क्लेम पेश करने के लिए 3 दिवस का समय बहुत कम है । अतः 30 दिवस का समय दिया जावे । 30 दिवस का समय क्लेम पेश करने के लिए दिया जाना सम्भव नही है । फिर भी उन्हे क्लेम पेश करने के लिए काफी समय दिया गया । लेकिन उनकी ओर से क्लेम पेश नही किया तथा उपस्थित भी नही हुए । उपस्थित नही होने पर उनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये जाते है ।

11• मुकदमा नम्बर 516/88 खसरा नम्बर 26 रकबा 10 वि•, 27/1 रकबा 7बि• 27/3 रकबा 5बिस्वा, ख•न• 28 रकबा 3बिस्वा 17 वि• ख•न• 29 रकबा 1 बिस्वा• ख•न• 31 रकबा 2बि• 6 वि•, 32 रकबा 2बि• 5 वि• ख•न• 33 रकबा 2बि• 10• वि•

केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 6 के राजस्थान राज पत्र दिनांक 31-7-89 में ग्राम माचवाचास तहसील सांगानेर की भूमि खसरा नम्बर 26 रकबा 10 वि• ख•न• 27/1 रकबा 7 बि• ख•न• 28 रकबा 3बि 17बिस्वा, ख•न• 29 रकबा 1 बिस्वा, ख•न• 30 रकबा 1बिस्वा 5 बिस्वा, ख•न• 31 रकबा 2बि 6 बिस्वा, ख•न• 32 रकबा 2बिस्वा 5 बिस्वा, ख•न• 33 रकबा 2बि• 10 वि• गंगा राम पुत्र छोटू गोपी पुत्र नन्दा के नाम खातेदारी में दर्ज है तथा खसरा नम्बर 27/3 रकबा 5 बिस्वा प्रभु, धन्ना पिता राम देव कौम रैगर के नाम खातेदारी मे दर्ज है । केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की अन्तर्गत धारा 9 व 10 के तहत नोटिस जारी किये गये । तामील कुनिन्दा की रिपोर्ट के अनुसार नोटिसों को खातेदारों को तामील कराया गया । उपस्थित नही होने पर रजिस्टर्ड व दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से भी नोटिस जारी किये गये । हितधारान की ओर से सतीश केदावत एडवोकेट हाजिर हुए तथा वकालतनामा बद्रीनारायण की ओर से पेश किया । गंगाराम वगैरा की ओर से आपत्तियाँ पेश की । आपत्तियों में वकील दावेदार ने बताया कि कुछ खातेदारों

331

की मृत्यु हो गयी है । जो वारिसारी के नाम अवार्ड जारी किया जावे । राजुलाल व राधे श्याम उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र के साथ प्रतिज्ञा बाहमी समझोता पेश किया गया । प्रतिज्ञा पत्र विक्रय पत्र नहीं है । अतः जो मान्य नही है । अन्य दावेदारों की ओर से कोई भी उपस्थित नही होने पर उनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये । रिट याचिका नम्बर 3565/91 के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय से अवार्ड पारीत न करने एवं कब्जा न लेने बाबत स्टगन आदेश प्रभावी होने से पूर्व में अवार्ड पारीत नही किया गया । अब माननीय उच्च न्यायालय से विद रावटीन डी॰बी॰ मे 116 अपीलो का निर्णय राज्य सरकार/ जेडिए के पक्ष मे निर्णय दिनांक दिनांक 22-4-96 को खड़ा हो गया । न्याय हित खातेदारान / दावेदारान को क्लेम पेश करने के लिए नोटिस/दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से तामील कराया गया । लेकिन उनको ओर से कोई भी उपस्थित हुए तथाना ही क्लेम पेश किया गया । उनके उपस्थित नही होने पर उनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये ।

12॰ मुकदमा नम्बर 512/88 खसरा नम्बर 12 रकबा 1बि॰ 16 वि, 13रकबा 1बि॰ 11वि॰, 14 रकबा 2बि॰ 17 वि॰ 15रकबा 5 वि16 रकबा 6वि॰खा॰न॰ 17 रकबा 4बि॰ 18 वि॰ खा॰न॰ 18 रकबा 1बि॰ 15 विस्वा 19/1 रकबा 3बि॰ 13 वि॰ खा॰न॰ 19/2रकबा 4बि॰ 11 वि॰ खा॰न॰ 19/3 रकबा 4बि॰ 11वि॰ 20/1 रकबा 4बि॰ 11 विस्वा॰ 20/2 रकबा 4बि॰ 11 खा॰न॰ 20/3 रकबा 1बि॰ 1वि॰ खा॰न॰ 21 रकबा 3विस्वा,

---

केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 6 के राजस्थान राज पत्र दिनांक 31-7-89 में ग्राम मान्यावास तहसील सांगानेर की भूमि खसरा नम्बर 12 रकबा 1बि॰ 16वि॰ खा॰न॰ 13 रकबा 1बि॰॰ 11 विस्वा॰ खा॰न॰ 14 रकबा 2बि॰ 17 वि॰ खा॰न॰ 15 रकबा 5वि॰ खा॰न॰ 16 रकबा 6 वि॰ 17 रकबा 4बि॰ 18 वि॰ खा॰न॰ 19/1रकबा 3बि॰ 13 विस्वा खा॰न॰ 20/3 रकबा 1बि॰ 1 वि॰ खा॰न॰ 21 रकबा 3विस्वा, खा॰न॰ ग्यारसा पुत्र नन्दा कौम जाट की खातेदारी मे दर्ज है । खा॰न॰ 19/2 रकबा रकबा 4बि॰ 11 वि॰ खा॰न॰ 20/2 रकबा 4बि॰ 11वि॰ छोगराज पुत्र मोहरिया कौम जाट के नाम खातेदारी मे नाम दर्ज है । खा॰न॰ 19/3रकबा 4बि॰ 11वि॰ खा॰न॰ 20/1 रकबा 4बि॰ 11 वि॰ दीनदयाल पुत्र रामचन्द्र ना॰ सरंक्षक माता प्रेम देवी रामचन्द्र कौम जाट के नाम खातेदारी मे दर्ज है । केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 9 व 10 के अन्तर्गत खातेदारों/ हितधारियों को नोटिस जारी किये गये । तामील कुनिन्दा की हल्फिया रिर्पोट के अनुसार दो गवाहो के सामने मौके पर चस्पान्दगी के द्वारा नोटिस की तामील किया गया । उपस्थित नही होने पर दुबारा धारा 9 व 10 के तहत नोटिस जारी किये गये । रजिस्टर्ड नोटिस भी जारी किये एवं दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से भी नोटिस जारी किये गये । नोटिस तामिल कुनिन्दा की रिर्पोटके अनुसार खातेदारों /दावेदारों दावेदारों ने नोटिस को प्राप्त कर लिया गया । दावेदार छोगराज पुत्र मोहर दीनदयाल पुत्र रामचन्द्र वगैरा की ओर से श्यामलाल शर्मा एडवोकेट उपस्थित होकर वकालतनामा पेश किया । क्लेम पेश करने के लिए समय चाहा गया जो समय दिया गया । वकील दावेदर ने आपत्तियाँ [illegible] प्रस्तुत की गई । दावेदारा न के द्वारा यह आपत्तियाँ

332

पेश की गई है । यह धारा 4 के समय की जानी चाहिए थी । इस समय क्लेम पेश करना चाहिए था । जो क्लेम पेश न करके आपत्तियां पेश की है । यह निराधार है । रिट याचिका नम्बर 3587/91 के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय से अवार्ड व कब्जा न लेने बाबत माननीय उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश प्रभावी होने से पूर्व में अवार्ड जारी पारित नही किया गया । अब माननीय उच्च न्यायालय से डी.बी. में विचाराधीन 16 अपीलों का निर्णय राज्य सरकार/ जेडीए के हित में निर्णय दिनांक 22-4-96 को हो गया है । न्याय हित में खातेदारान / हितधारान को क्लेम पेश करने के लिए नोटिस /दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से जारी किये गये । दावेदारान / हितधारान की ओर से कोई भी उपस्थित नही हुए और नोटिस जारी किया गया है । अमीन ने तामील में यह रिपोर्ट की है कि उन्हे 2 माह का समय दिया जाये । क्लेम पेश करने के लिए दो माह का समय दिया जाना समयावधि को देखते हुए । समय दिया जाना सम्भव नही है । तथा अवार्ड तक भी खातेदारों की ओर से क्लेम पेश नही किया गया । उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये ।

13. मुकदमा नम्बर 529/88 खसरा नम्बर 64 रकबा 2बि. ख.न.65 रकबा 4बि.8 बि. ख.न.68 रकबा 16 बि.ख.न.69 रकबा 3बि.ख.न.70 रकबा 5बि.7बि.ख.न.71 रकबा 2 बिस्वा, ख.न. 72 रकबा 7बि.9 बि. ख.न.73 रकबा 2बि.6 बि.ख.न.77 रकबा 11 बिघा ख.न. 78 रकबा 5बि.16 बि. ख.न. रकबा 79 रकबा 5बिघा 10 बि. ख.न. 80 रकबा 15 बि. 7 बि. ख.न. 81 रकबा 2बि. 7बि. ख.न. 83 रकबा 3बिघा, ख.न. 75/240 रकबा 17 बिघा 7 बिस्वा

- -

केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 6 के राजस्थान राज पत्र दिनांक 31-7-1989 मे ग्राम मानयावास तहसील सांगानेर की भूमि खसरा नम्बर 64,65, 68,69,70,71,72,73,77,78,79,80,81,83,75/240 कुल रकबा 52बिघा माध्या पुत्र बिरदा के नाम खातेदारी मे दर्ज है तथा खसरा नम्बर 78,79,80,81 रकबा 29बिघा रामसहाय ,नारायण, फूलचन्द पिता नानगराम कौम माली सा. दे. करतारपुरा के खातेदारी मे दर्ज हैं । खातेदारान /हितधारान को केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 9 व 10 के अन्तर्गत नोटिस जारी किये गये । उपस्थित नही होने पर रजिस्टर्ड व दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से नोटिसों का प्रकाशन कराया गया । फूलचन्द पुत्र नानग राम की ओर से हीरालाल सैनी एडवोकेट ने दिनांक 14-6-91 को क्लेम पेश किया गया । अन्य दावेदारान की ओर से कोई भी उपस्थित नही हुए । क्लेम आपत्तियों के साथ कुल रकबा 29 बीघा 29 बीघा मे से 1/3 हिस्से का पेश किया । जिसमे कुल राशि [illegible]97,800/- की मांग की तथा कुआ, पम्पसेट, बोरिंग आदि के मुआवजा राशि 70,000/- की मांग की है 1/3 हिस्से में खिड़ी सीढ़ियों की कीमत 10,000/- मिट्टी की डोल की राशि रुपये 8000/- कुटीर की राशि 12000/- ,पक्का मकान 11 1/2फुटx9 1/4 फुट की राशि 20000/- ,कच्चे घर एवं पशुओं के छप्पर आदि 5000/- रुपये ,कृषि उपकरणों

(333)

का मुआवजा राशि 15000/- फाउन्टेन से आय 25000/- रूपये बेरोजगार आदि की बाबत मांग की गई है।

क्लेम /वाद के विभिन्न मदो का योग

1.	भूमि का मुआवजा	5847,900/-
2.	कुआं विद्युत पम्प आदि	70000/-
3.	हौद हौदिया आदि	10,000/-
4.	मिटटी आदि	12000/-
5.	वृक्षों की मुआवजा	50000/-
6.	पक्के मकानों का मुआवजा	20000/-
7.	कच्चे घर व अन्य का मुआवजा	5000/-
8.	कृषि उपकरणों की उपयोग हीनता का	15000/-
9.	फाउन्टेन आदि का मुआवजा	25000/-
	योग	6054800

30 % सोलेशियम की राशि रूपये	1816400/-
15 % अनिवार्य अवाप्ति हेतु	908,200/-
कुल	8779400

दावेदार द्वारा क्लेम के साथ विक्रय पत्र भी पेश किया गया है। विक्रय पत्र प्रस्तुत की जा रही है भूमि से दूर की भूमि का विक्रय पत्र है। इसके पास की भूमि के विक्रय पत्र नही होने से बाजार दर की बाबत नही माना जा सकता है। इत्यादि के अलावा अन्य खातेदारों की ओर से कोई भी उपस्थित नही हुए तथा नाही क्लेम पेश किया गया। पूर्व माननीय उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश प्रभावी होने से इस भूमि का अवार्ड पारित नही किया गया। अब माननीय उच्च न्यायालय से स्थगन माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन 116 अपीलों का निर्णय दिनांक 22-4-96 को राज्य सरकार/अधिग्रहण के पक्ष होने से न्याय की हित मे खातेदारान/ दावेदारान को दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से तामील कराया गया। उनकी ओर से कोई भी उपस्थित नही हुए। अत: उनके विरूध्द एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये।

14. मुकदमा नम्बर 554/88 खसरा नम्बर 35/241 रकबा 7बिस्वा 16 बिस्वाख•न• 35/247 रकबा 2बिस्वा 4 बिस्वा

केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 6 के राजस्थान राज पत्र दिनांक 31-7-1989 से ग्राम मानपुरावास तहसील सांगानेर की भूमि खसरा नम्बर 35/241 रकबा 7 बिस्वा 16 बिस्वा ख•न• 35/247 रकबा 2बिस्वा 4 बिस्वा गैरमुमकिन पुत्रान पिता मोड राम व लाला पुत्र हुआ कौम रैगर के नाम खातेदारी मे दर्ज है। केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 9 व 10 के अन्तर्गत खातेदारों को नोटिस जारी किये गये। उपस्थित उपस्थित नही होने पर दुबारा से नोटिस जारी गये। रजिस्टर्ड नोटिस/दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से भी नोटिस तामील कराये गये। तामिल कुनिन्दा की हल्फिया रिपोर्ट के अनुसार नोटिस खातेदारों को तामील कराया गया। खातेदार लाला राम की ओर दिनांक 29/12/90 को शिव सिंह एडवोकेट ने अपना वकालत नामा पेश किया गया। क्लेम पेश करने के लिए समय चाहा गया जो उन्हे समय दियागया। एवं अन्य की ओर से भी शिवसिंह एडवोकेट ने अपना वकालत नामा पेश कर क्लेम पेश करने के लिए समय चाहा गया। उन्हें समय दिया

भूमि अवाप्ति अधिकारी नगर विकास न्यास जयपुर

गया । दिनांक 13-6-91 को । लगायत 13 तक आपत्तियाँ पेश कि जो आपत्तियाँ धारा 5 ए के समय पेश करनी चाहिए । इस समय तो क्लेम पेश करना चाहिए था । आपत्तियों को निरस्त किया गया। खातेदार/ दावेदारान द्वारा क्लेम पेश नही किया गया । तथा याचिका नम्बर 3575/91 के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अवार्ड पारीत न करने एवं कब्जा न लेने बाबत स्थगन आदेश पारीत होने पर पूर्व में इस भूमि अवार्ड पारीत नही किया गया । अब माननीय उच्च न्यायालय से डी.बी. मे विचाराधीन मुकदमे 116 अपीलो का निर्णय दिनांक 22-4-96 को राज्य सरकार/ प्राधिकरण के पक्ष मे हो गया । न्याय हित में क्लेम पेश करने के लिए खातेदारान/दावेदारान को दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से नोटिस की सूचना का प्रकाशन कराया गया । खातेदारान/ दावेदारान की ओर से कोई भी उपस्थित नही हुए । उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश अमल में लाये गये ।

15. मुकदमा नम्बर 513/88 (511/88) खसरा नम्बर 22 रकबा 29बिघा 17 वि. ख.न. 1 रकबा 6बिघा 16 विस्वा,ख.न. 2 रकबा 5बिघा 10 विस्वा, ख.न. 3 रकबा 1बि. 1वि. ख.न.4 रकबा 3विस्वा, ख.न. 5 रकबा 10बिघा 5 विस्वा,ख.न. 6 रकबा 2विस्वा ख.न. 7 रकबा 1बिघा 2 विस्वा, ख.न. 8 रकबा 2 विस्वा, खसरा नम्बर 9रकबा 2बिघा 12 विस्वा,

---

केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 6 के राजस्थान राज पत्र दिनांक 31-7-89 में ग्राम मान्यावास तहसील सांगानेर की भूमि खसरानम्बर 1रकबा 6बि 16 विस्वा, ख.न. 2 रकबा 5बिघा 10 विस्वा, खसरा नम्बर 3 रकबा 1बिघा1विस्वा खसरा नम्बर 4 रकबा 3विस्वा , खसरा नम्बर 5 रकबा 10बिघा 5विस्वा, खसरा न. 6 रकबा 2 विस्वा , खसरा नम्बर 7 रकबा 1बिघा 2 विस्वा ,खसरा नम्बर 8 रकबा 2 विस्वा , खसरा नम्बर 9 रकबा 2बिघा 12 विस्वा खसरा नम्बरर 22 रकबा 29 बिघा 17 विस्वा लल्लूराम, कानाराम भैरू,रामनाथ रामकरण, श्रवणपिता चन्दा लाल कोम जाट की खातेदारी में दर्ज है । केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 9 व 10 के अन्तर्गत नोटिस खातेदारान/दावेदारान को जारी किये गये । तामिल कुनिन्दा की तील्मया की रिर्पोट के अनुसार सह कृ एक खातेदार कानाराम ने व नोटिस को प्राप्त किया गया । खातेदार/ दावेदारों के उपस्थित नही होने पर रजिस्टर्ड नोटिस एवं दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से भी नोटिसों की तामील कराई गई । खातेदारान की ओर से श्याम लाल शर्मा एडवोकेट दिनांक 13-6-91 को उपस्थित होकर आपत्तियाँ पेश की गई । आदेश दिनांक 13-6-91 के अनुसार आपत्तियाँ दावेदार को धारा 5 ए सुनवाई के समय पेश करनी चाहिए थी । जो अब पेश की गई है । अत: उन्हें दिनांक 13-6-91 के प्रार्थना पत्र को निरस्त कर दिया गया । खातेदार/ दावेदार द्वारा क्लेम पेश नही किया गया । खातेदार कानाराम द्वारा क्लेम पेश करने के लिए समय चाहा गया । लेकिन समय दिये जाने के बावजूद भी क्लेम पेश नही किया गया। रिट याचिका नम्बर 3586/91 के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय से अवार्ड परीत न करने

335

एवं कब्जा न लेने बाबत स्थगन आदेश प्रभावी होने से पूर्व में अवार्ड पारित नही किया गया । अब माननीय उच्च न्यायालय मे विचाराधीन 116 अपीलों का निर्णय दिनांक 22-4-98 को राज्य सरकार/ जेडीए के हित में होने से खातेदारान/ दावेदारान को न्याय हित नोटिस /दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से तामील कराया गया । उक्त खातेदारान/ दावेदारान ने दिनांक 19-6-96 को प्रार्थना पत्र पेश किया गया तथा निवेदन किया गया की भूमि की अत्यधिक मूल्य की है । जहाँ तक 1000/- प्रति वर्गगज की मांग तथा 50% प्रतिशत भूमि जे.डी.ए. स्कीम एवं 50% विकसित योजना में भूमि के बदले भूमि दी जावे । खातेदारान द्वारा 1000/- प्रति वर्ग की मुआवजे की मांग की गई है । यह अत्याधिक व बेबुनियाद है । तथा खातेदारान द्वारा मुआवजे की मांग की उसकी ताईद में कोई ठोस प्रमाण विक्रय पत्रों से सम्बन्धित पेश होने से क्लेम मान्य नही है । जो निराधार है । 50% प्रतिशत विकसित भूमि देने का प्रश्न है वह भी निराधार है । यह मांग है वह भी निराधार है । यह मांग नियमानुसार मांग नही है ।

16. मुकदमा नम्बर 533/88 खसरा नम्बर 122 रकबा 1 बिस्वा

केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 6 के राजस्थान राज पत्र दिनांक 31-7-1989 मे ग्राम मा च्यावासतहसील सांगानेर की भूमि खसरा नम्बर 122 रकबा 1 बिस्वा किशनाराम कल्याण पिता छोटू हिस्सा 1/4, किशन पुत्र छोटू 1/4, बाबु लाल,कान्हापुत्र बाबु2/3, भूरीलाल गोविन्दराम,रामेश्वर, राधेश्याम पिता चन्दा 1/8 के नाम खातेदारी मे दर्ज है । केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 9 व 10 के अन्तर्गत खातेदारान को नोटिस जारी किये गये । तामिल कुनिन्दा को हल्फिया रिपोर्ट के खातेदारान व द्वारा नोटिस लेने से मना करने पर दो गवाहों के सामने मौके चस्पा कराया तथा दुसरा नोटिस जारी किया गया । दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से भी नोटिसों को तामिल कराया गया । नोटिसों की एक एक प्रति खातेदारों द्वारा प्राप्त की गई । दिनांक 10-6-91 को कानाराम उपस्थित होकर क्लेम पेश करने के समय चाहा गया । जिन्हे अन्तिम मौका दिया गया । दिनांक 13-6-91 को श्यामलाल शर्मा एडवोकेट उपस्थित होकर वकालतनामा पेश किया तथा क्लेम पेश करने के लिए समय चाहा । उन्हें एक अन्तिम मौका और दिया गया । लेकिन दावेदारान / खातेदारान की ओर से क्लेम पेश नही किया गया । तथा रिट याचिका नम्बर 3562/91 के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अवार्ड न पारित करने एवं कब्जा न लेने बाबत स्थगन आदेश प्रभावी होने से पूर्व में अवार्ड पारित नही किया गया । अब माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन 116 अपीलों का निर्णय दिनांक 22-4-96 को राज्य सरकार/ जेडीए के हित मे हो गया है । न्याय हित मे खातेदारान / दावेदारान को क्लेम पेश करने के लिए नोटिस तामील कराया गया । उनकी ओर से कोई भी उपस्थित नही हुए । उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये ।

17. मुकदमा नम्बर 535/88 खसरा नम्बर खसरा नम्बर 115 रकबा 19 बिस्वा,खसरा नम्बर

336

119 रकबा 2विस्वा, खा•न• 123 रकबा 12विस्वा, खा•न• 215/239 रकबा 8बिघा 18 विस्वा, खा•न• 133/242 रकबा 2बि•9वि• 215/243 रकबा 3बि.7वि•

केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 6 के राजस्थान राज पत्र दिनांक 31-7-1989 मे ग्राम माच्यावास तहसील सांगानेर की भूमि खसरा नम्बर 115 रकबा 19 विस्वा, खा•न• 119 रकबा 2 विस्वा, खा•न• 123 रकबा 12 विस्वा, खा•न• 215/239 रकबा 8बि• 18 विस्वा, खा•न• 133/242 रकबा 2बि• 9वि• खा•न• 215/243 रकबा 3बिघा 7वि• किशना पुत्र छोटू जाति की खातेदारी मे दर्ज है। केन्द्रीय भूमि अवाप्तिअधिनियम की धारा9 व 10 के अन्तर्गत नोटिस जारी किये गये। तामिल कुनिन्दा की हाजिरया रिर्पोटके अनुसार किशना ने नोटिस लेने से मनाकरने पर गोविन्दराम को नोटिस तामील कराया गया। उसा उपस्थित नही होने पर रजिस्टर्ड नोटिस एवं दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से नोटिस तामील कराया गया। दिनांक 12/2/91 को किशना की ओर से श्याम लाल शर्मा एडवोकेट उपस्थित होकर वकालत नामा पेश किया गया। दिनांक 22/2/91 को आपत्तियाँ पेश कि गई थी। आपत्तियाँ प्रस्तुत की है। आपत्तियाँ धारा 5 ए की सुनवाई के समय पेश करनी चाहिए थी। इस समय क्लेम पेश करना चाहिए था जो नही किया गया। वकील दावेदार क्लेम पेश करने के लिए बार बार समय चाहते रहे, लेकिन उनकी भी ओर से क्लेम पेश नही किया रिट याचिका नम्बर 3562/91 के द्वारा अवार्ड व कब्जा न लेने बाबत स्थगन आदेश होने से पूर्व मे अवार्ड पारीत नही किया गया। अब माननीय उच्च न्यायालय से 116 अपीलों का निर्णय राज्य सरकार/जविप्रा के हित मे हो गया। न्याय हित मे खातेदारान/दावेदारान को दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से नोटिस तामील कराया गया। व्यक्तिगत नोटिस भी तामील कराया गया। खातेदार ने नोटिस मे ही क्लेम पेश करने के 2 माह का समय चाहा गया है। जो समयावधि को ध्यान मे रखते हुए। समय दिया जाना न्याय संगत नही है। फिर भी इतना समय देने के बाद भी दावेदार/खातेदार की ओर से क्लेम पेश नही किया गया। खातेदार की ओर से दिनांक 19-6-96 को 1000/- प्रति वर्ग गज के हिसाब से क्लेम की मांग की गई तथा 50•/• प्रतिशत विकसित भूमि की मांग की गई है। इस मांग की ताइद मे ठोस प्रमाण पत्र पेश नही किया गया। अत: इनके क्लेम को [illegible]। माना जाना न्याय संगत नही है।

18• मुकदमा नम्बर 555/88 खा•न• 35/246 रकबा 6बि•

केन्द्रीय भूमिअवाप्ति अधिनियम की धारा 6 के राजस्थान राज पत्र दिनांक 31-7-1989 मे ग्राम माच्यावास तहसील सांगानेर की भूमि खसरा नम्बर 35/246 रकबा 6 बिघा बोदापुत्र गणेश कोम रैगर सा• देह के नाम खातेदारी मे दर्ज है। केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 9 व 10 के अन्तर्गत खातेदारों को नोटिस जारी किये गये। तामिल कुनिन्दा की हाजिरया रिर्पोट के अनुसार भागूराम पुत्र बोदा को नोटिस तामील कराया गया। रजिस्टर्ड नोटिस एवं दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से नोटिस तामील कराये गये। दिनांक 13-6-91 को खातेदारान के एडवोकेट उपस्थित होकर आपत्तियाँ पेशकी। खातेदारान द्वारा आपत्तियाँ धारा 5 ए के समय पर

भूमि अवाप्ति अधिकारी नगर विकास प्राधिकरण जयपुर

337

पेश करनी चाहिए थी । इस समय में धारा 6 के अन्तर्गत क्लेम पेश करना चाहिए । दिनांक 13-6-91 को आपत्तियों को निरस्त किया गया । खातेदार क्लेम पेश करने के लिए समय चाहा गया । उन्हें क्लेम पेश करने के लिए हिदायत दी गई कि वे दिनांक 25-6-91 से पूर्व ही क्लेम पेश कर देवे । अन्यथा इसके पश्चात समय नहीं दिया जावेगा ।

इसके तत्पश्चात माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका नम्बर 3577/91 के अवार्ड पारीत न करने एवं कब्जा न लेने बाबत स्थगन आदेश होने से पूर्व में अवार्ड पारीत नहीं किया गया । अब माननीय उच्च न्यायालय से डी.बी. में विचाराधीन 116 अपीलों का निर्णय दिनांक 22-4-91 को राज्य सरकार/ जौप्रा के पक्ष मे होने से न्याय हीत मे खातेदारान को क्लेम पेश करने के दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से नोटिस जारी किये गये। खातेदार की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुए नहीं क्लेम पेश किया गया । अत: उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये ।

19- मुकदमा नम्बर 556/88 खसरा नम्बर 35/245 रकबा 15 बिस्वा

केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 6 के राजस्थान राज पत्र दिनांक 31-7-1989 को ग्राम माच्यावास तहसील सांगानेर की भूमि खसरा नम्बर 35/245, रकबा 15 बिस्वा भूराराम ,धोलाराम, मानाराम , पन्दालाल पिता परसाराम कौम रेगर की खातेदारी मे दर्ज है । खातेदारों को केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 9 व 10 के अन्तर्गत नोटिस जारी किये गये । तामिल कुनिन्दा की हाँ त्था रिर्पोट के अनुसार धोलाराम पुत्र पन्दालाल को नोटिस तामील कराया गया । उपस्थित नहीं होने पर दुबारा नोटिस जारी किये गये । रजिस्टर्ड एवं दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से भी नोटिस जारी किये गये तामील कुनिन्दा की रिर्पोट के अनुसार नोबत नोटिस को खातेदारान वारिसो को तामील कराया गया । दिनांक 13-6-91 को श्याम लाल शर्मा एडवोकेट उपस्थित हुए तथा आपत्तियाँ प्रस्तुत की । धारा 5 ए के समय आपत्तियाँ प्रस्तुत करनी चाहिए । इस समय तो क्लेम पेश करना था । जो नहीं गया ।,प्रार्थना पत्र दिनांक 13-6-91 की प्रार्थना पत्र आपत्तियों को निरस्त कर दियागया । वकील दावेदार क्लेम पेश करने के समय चाहा गया । उन्हें समय दिया गया । लेकिन समय दिये जाने के उपरान्त भी क्लेम पेश नहीं किया गया । तदुपरान्त रिट याचिका नम्बर 3560/91 के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय से अवार्ड पारीत न करने एवं कब्जा न लेने के बाबत स्थगन आदेश प्रभावी होने से पूर्व में अवार्ड पारीत नहीं किया गया । अब माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन 116 अपीलों का निर्णय राज्य सरकार/ जौप्रा के पक्ष में दिनांक 22-4-96 को हो गया । न्याय हित में उन्हें क्लेम पेश करने के लिए दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से नोटिस जारी किया गया। उनकी ओर से न तो क्लेम पेश किया गया तथा नाही कोई उपस्थित हुए । अत: उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई ।

भूमि अवाप्ति अधिकारी
नगर विकास न्यास
जयपुर

20- मुकदमा नम्बर 551/88 खसरा नम्बर 198 रकबा 18बिस्वा- 14 बि-,ख-न- 202रकबा 3बि- 203 रकबा 3बि- 17 बि-,ख-न-204 रकबा 4बिस्वा । बिस्वा, ख-न- 8 205 रकबा

338

4बि॰ 2वि॰ ख॰न॰ 205 रकबा 1बि॰ 13 वि॰

केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा6 के राजस्थान राज पत्र दिनांक 31-7-1989 मे ग्राम मान्यावास तहसील सांगानेर की भूमि खसरा नम्बर 198 रकबा 10बिघा 14 बिस्वा, ख॰न॰ 201 रकबा 19 बिस्वा, ख॰न॰ 202 रकबा 3बिस्वा, ख॰न॰ 203 रकबा 3बिघा 17 बिस्वा, ख॰न॰ 204 रकबा 4बि॰1 बिस्वा, ख॰न॰ 205 रकबा 4बि॰2 बिस्वा ख॰न॰ 206 रकबा 1बि॰13 वि॰ की खातेदारी छुट्टा पुत्र नन्दा कौम जाट की खातेदारी मे दर्ज हैं। खातेदारी को केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 9 व 10 के अन्तर्गत नोटिस जारी किये गये। बबह तामील कुनिन्दा की हल्फिया रिपोर्ट के अनुसार तामील कराया गया। उपस्थित नही होने पर रजिस्टर्ड नोटिस एवं दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से नोटिसों को तामील कराया गया। रजिस्टर्ड नोटिस की तामील की रसीदे प्राप्त हो गयी। खातेदारान की ओर से भी बराय उपस्थित क्लेम पेश करने के लिए समय चाहा गया। उन्हे समय दिया जाने के बबह बाद भी क्लेम पेश नही किया इसके उपरान्त रिट याचिका नम्बर 3446/91 के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय से अवार्ड पारीत न करने एवं कब्जा न लेने बाबत स्थगन आदेश प्रभावी होने से पूर्व मे अवार्ड पारीत नही किया गया। अब माननीय उच्च न्यायालय से डी॰बी मे विचाराधीन 116 अपीलो का निर्णय दिनांक 22-4-96 को राज्य सरकार/ जविप्रा के के पक्ष होने गया। न्याय हित खातेदारान को क्लेम पेश करने के लिए दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से नोटिस जारी किये गये। लेकिन उनकी ओरसे कोई भी उपस्थित नही हुए। उनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये।

21॰ मुकदमा नम्बर 534/88 खसरा नम्बर 124 रकबा 4 बिस्वा

बबै केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा6 के राजस्थान राज पत्र दिनांक 31-7-1989 के ग्राम मान्यावास तहसील सांगानेर की भूमि खसरा नम्बर 12 4 रकबा 4 बिस्वा किशनाराम,कनाधा,पिता छोटू हि॰ 1/2किशन पुत्र छोटू किशना,कनाधा पिता छोटू 1/2 के नाम खातेदारी मे दर्ज है। खातेदारों को केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 9 व 10 के अन्तर्गत नोटिस जारी किये गये, रजिस्टर्ड नोटिस / दैनिक समा समाचार पत्रों के माध्यम से भी नोटिसों का प्रकाशन कराया गया। खातेदारों की ओर से श्यामलाल शर्मा एडवोकेट उपस्थित होकर वकालतना मा पेश तथा क्लेम पेश करने के समय चाहा गया। उन्हें क्लेम क्लेम पेश करने के लिए समय दिया गया। प्रार्थना पत्र दिनांक 13-6-91 प्रार्थना पत्र के साथ त्याग पत्र की फोटो प्रति प्रस्तुत की गई है। त्याग पत्र रजिस्टर्ड है। इस रजिस्टर्ड पत्र के अनुसार नामान्तरकरण नही हुआ है। फिर क्लेम पेश करने के लिए समय चाहते है। जो समय दिया गया। खातेदारों के द्वारा क्लेम पेश नही किया गया। रिट याचिका नम्बर 3562/91 के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय से अवार्ड पारीत न करने एवं कब्जा न लेने बाबत स्थगन आदेश प्रभावी होने से पूर्व में अवार्ड पारीत नही किया गया। अब माननीय उच्च न्यायालय से निर्णय साबय दिनांक

339

22-4-96 को राज्य सरकार/ जीवडा के पक्ष में हो गया । क्लेम पेश करने के लिए खाते दारों को नोटिस /दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से नोटिस तामील कराया गया । नोटिस जरिए प्राप्त किया गया । इन्होंने डी- 2मा ह का समय चाहा गया । इतना समय दिया जाना न्याय संगत नही हैं । अब तक भी उनके द्वारा क्लेम पेश नही कियागया । उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये ।

22• मुकदमा नम्बर 517/88 खासरा नम्बर 36 रकबा 2बि•6बि• 37 रकबा 9बि•4बि•

केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 6 के राजस्थान राज पत्र के 6धवेशराबबस्थानदिर्नाक 31-7-1989 मे ग्राम मान्यावास तहसील सांगानेर की भूमि खासरा 36 रकबा 2बीघा 6 बिस्वा , 37 रकबा 9बीघा 4 बिस्वा रामलाल पुत्र छोटूराम जांगिड के नाम खातेदारी में दर्ज है । केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 9 व 10 के अन्तर्गत नोटिस जारी किये गये । उपस्थित नही होने पर दुबारा से रजिस्टर्ड व दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से नोटिस जारी किये गये । दिनांक 13-2-91 को रामलाल की ओर से श्यामलाल शर्मा एडवोकेट एडवोकेट उपस्थित होकर वकालतनामा पेश किया । तथा क्लेम पेश करने के समय चाहा गया । उन्हें क्लेम पेश करने के लिए समय दिया गया । वकील दावेदार ने आपत्तियां पेश की है । दावेदार द्वारा जो इस समय आपत्तियाँ पेश की हैं । धारा 5ए के समय पेश करनी चाहिए थी । इस समय क्लेम पेश करना चाहिए था । आपत्तियां दिनांक 13-6-91 को पेश की गई । उसे निरस्त किया गया । रिट याचिका नम्बर 3564/91 के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय से अवार्ड पारीत न करने व कब्जा न लेने बाबत स्थगन आदेश प्रभावी होने से पूर्व में अवार्ड पारीत नही किया गया । अब माननीय उच्च न्यायालय से विचाराधीन डी•बी• से 116 अपीलों का निर्णय राज्य सरकार/ जीवडा के पक्ष मे होने से क्लेम पेश करने के लिए उन्हे न्याय हित में दोदैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से नोटिस जारी किया गया । उनकी ओर से कोई भी उपस्थित नही तथानाही क्लेम पेश कियागया । अत: उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये ।

23• मुकदमा नम्बर 536/88 खासरा नम्बर 125 रकबा 3बीघा 2 बिस्वा

केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 6 के राजस्थान राज पत्र दिनांक 31-7-1989 मे ग्राम मान्यावास तहसील सांगानेर की भूमि खासरा नम्बर 125 रकबा 3बीघा 2 बिस्वा किशना, भनाथ पिता छोटू कुम खाती के नाम खातेदारी मे दर्ज हैं । केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा9 व 10 के अन्तर्गत नोटिस खातेदारान को जारी किये गये । तामिल कुनिन्दा की हल्फया रिर्पोट के अनुसार खाते दार ने स्वयं भनाथ ने नोटिस प्राप्त किया गया । उपस्थित नही होने दैनिक समाचार पत्रों मे भी नोटिस का प्रकाशन कराया गया । दावेदारान की ओर श्याम लाल शर्मा एडवोकेट उपस्थित हुए । तथा क्लेम पेश करने करने के लिए समय चाहा गया । उन्हें अन्तिम मौका दिया गया । लेकिन उनके द्वारा क्लेम पेश नही किया गया। तदुपरान्त रिट याचिका नम्बर 3562/91 के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय से अवार्ड पारीत न करने एवं कब्जा न लेने बाबत स्थगन आदेश प्रभावी होने से अवार्ड पारीत नही

340

किया गया । अब माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन 116 अपीलों का निर्णय दिनांक 22-4-1996 को राज्य सरकार/ जीवप्रा. के पक्ष हो गया । न्याय हित में दावेदारान/ खातेदारान को क्लेम पेश करने के लिए नोटिस जारी किया गया । नोटिस खातेदार के पुत्र ने प्राप्त किया तथा दैनिक समाचार पत्रों में भी नोटिसों का प्रकाशन कराया गया । खातेदारों की ओर से कोई भी उपस्थित नही हुए तथा नोटिस जारी किया गया । नोटिस का प्राप्ति में ही यह अंकित किया गया हैं कि क्लेम पेश करने के लिए 2 माह का समय दिया जावे । इन्हें काफी समय दिये जाने के बाद भी क्लेम पेश नही किया गया है । अतः उनके विरूद्द एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये ।

24- मुकदमा नम्बर 542/88व 544/88 खसरा नम्बर 152 रकबा 8 बीघा 4 बिस्वा ख०न० 154 रकबा 1बि० 10 बि० 155 रकबा 4बि०8बि० , 154/236 रकबा 10 बिस्वा एवं 153 रकबा 3 बिस्वा

केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 6 के राजस्थान राज पत्र दिनांक 31-7-1989 में ग्राम माण्यावास तहसील साँगानेर की भूमि खसरा नम्बर 152 रकबा 3बि० 4बि० ख०न० 154 रकबा 1बि० 10 बि० ख०न० 155 रकबा 4बि० 8 बि० ख०न० 154/236 रकबा 10 बि० ख०न० 153 रकबा 3 बि० श्रीया पुत्र बालू कोम जाट हि० 1/2 मोहरिया पुत्र रामजीवन पिता नानगा हि० 1/2 कोम जाट की खातेदारी में दर्ज हैं । खातेदारों को केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 9 व 10 के अन्तर्गत नोटिस जारी किये गये । खसरा नम्बर 153 रकबा 3 बिस्वा श्रीया पुत्र महादेव पिता बालू हि० 1/4,सोना,पाच्या पिता बिरदा हि० 1/4 छुट्टा पुत्र भाग्या हि० 1/2 के नाम खातेदारी मे दर्ज है । खातेदारान / हितधारान को केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 9 व 10 के तहत नोटिस जारी किये गये । तामिल कुनिन्दा की रिपोर्ट के अनुसार नोटिस तामिल कराया गया। उपस्थित नही होने पर रजिस्टर्ड व दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से भी नोटिसों की तामील कराई गयी । खातेदारान की ओर लक्ष्मण उपस्थित तथा क्लेम पेश करने के लिए चाहा गया । उन्हें एक अन्तिम मौका क्लेम पेश करने के लिए दिया गया। लेकिन उनकी ओर से क्लेम पेश नही किया । तदुपरान्त माननीय उच्च न्यायालय से रिट याचिका नम्बर 3454/91 के द्वारा अवार्ड पारीत न करने एवं कब्जा न लेने बाबत स्थगन आदेश प्रभावी होने से पूर्व से अवार्ड पारीत नही किया गया । अब माननीय उच्च न्यायालय मे डी०बी०, में विचाराधीन 116 अपीलों का निर्णय दिनांक 22-4-91 को राज्य सरकार/ जीवप्रा के पक्ष मे होने से न्याय हित मे खातेदारान / दावेदारान को क्लेम पेश करने के लिए नोटिसों का प्रकाशन कराया गया । तथा नोटिस भी तामील कराया गया । खातेदारों की ओर से कोई भी उपस्थित नही हुए । उनके विरूद्द एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये ।

25- मुकदमा नम्बर 524 /88 ख०न० 52 रकबा 24 बिघा 13 बि० ख०न० 53 रकबा 14बि० 7 बि० ख०न० 61 रकबा 1बि० 13 बि० ख०न० 105रकबा 1बि० 16बि० 106रकबा 4बि० ख०न० 107रकबा 5बि०5बि०ख०न० 108रकबा 7बि० ख०न० 110रकबा6बि० 10बि०ख०न० 112 रकबा 7बि० 4बि० ख०न० 227 रकबा 4बि० ख०न०228 रकबा 9बि०ख०न०229रकबा 4बि०3बिस्वा

भू अवाप्ति अधिकारी
नगर विकास योजना
जयपुर

341

4बि. 5बि. ख.न. 230 रकबा 3बि. 7बि. ख.न. 231 रकबा 3बि. 14 बि.

केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 6 के राजस्थान राज पत्र दिनांक 31-7-1989 मे ग्राम मल्यावास तहसील सांगानेर की भूमि खसरा नम्बर 52 रकबा 24बि. 13 बि. 53 रकबा 14बि. 7बि. ख.न. 61 रकबा 1बि. 13 बि. ख.न. 105 रकबा 1बि. 16बि. ख.न. 106 रकबा 4बि. ख.न. 107 रकबा 5बि. 3बि., ख.न. 109 रकबा 7बि. ख.न. 110 रकबा 6बि. 10बि. ख.न. 112 रकबा 7बि. 4बि. ख.न. 227 रकबा 4बि. ख.न. 228 रकबा 9बि. ख.न. 229 रकबा 4बि. 5बि. ख.न. 230 रकबा 3बि. 7बि. ख.न. 230 रकबा 8 3बि. 74 बि. ख.न. 231 रकबा 3बि. 14बि. लादू, धूलाल गोविन्द राम पिता नाथू 1/2 छीतर, मूलचन्द पिता धापी 1/2 कोम जाट के नाम खातेदारी मे दर्ज है। खातेदारान को केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 9 व 10 के तहत नोटिस जारी किये गये। नोटिस की प्राप्ति गो विन्दराम, धूलाल, लादू, छीतर, मूलचन्द को तामील कराया गया। खातेदारान की ओर श्याम लाल शर्मा एडवोकेटने वकालत नामा पेश किया और क्लेम पेश करने के लिए समय चाहा गया। जिन्हें क्लेम पेश करने के लिए समय दिया गया। दिनांक 22/3 को दावेदारों के एडवोकेट द्वारा आपत्तियाँ पेश की गई। आपत्तियाँ धारा 5ए की रिपोर्ट भेजने के समय पेश करनी चाहिए। इस समय क्लेम पेश करना चाहिए जो नही किया गया। आपत्तियाँ को निरस्त किया जाता है। राम करण द्वारा दिनांक 19-6-91 को क्लेम पेश किया गया। क्लेम मैं चालीस लाख रुपये प्रति बीघाकी दर से मुआवजा राशि की मांग की गई है। मवेशियों को एक दूसरे स्थान पर ले जाने की मुआवजा राशि 150000/- रुपये की मांग की गई है। डिसपरिसरोशान की राशि 1,500.00 की मांग 66 व्यक्तियों को अलग 2 बसाने के लिए 10,00,000/- मुन्वारी की पौल एवं पाईप आदि का खर्चा 20,000/- मकानात का मुआवजा 10,0000/- कुआ नब्बे हजार रुपये, ढोले की कीमत 10,000/- फलदार पेडो का मुल्य 36500/- इस क्लेम की ताईद मे ठोस दस्तावेजात पेश नही किये गये। तथा क्लेम बहुत बढा चढा बनाया जाकर पेश किया गया है। तथ्यद बेबुनियाद व निराधार होने से मान्य नही है। पूर्व मे उक्त भूमि खसरा नम्बरान केस का माननीय उच्च न्यायालय से रिट याचिका नम्बर 3574/91 मे अवार्ड पारीत न करने एवं कब्जा न लेने बाबत स्थगन आदेश प्रभावी होने से पूर्व मे इसका अवार्ड पारीत नही किया गया। अब माननीय उच्च न्यायालय से 116 अपीलो का निर्णय राज्य सरकार/ जविप्रा के पक्ष मे हो गया। न्याय हित मे खातेदारान / दावेदारान को नोटिस दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से तामील कराया गया। खातेदारान की ओर से दिनांक 19/6/96 को एक प्रार्थना पत्र केसदसमे 1000/- वर्ग गज की मुआवजा राशि की मांग की गई है तथा 50./. प्रतिशत विकसित भूमि की मांग की गई है जो न्याय संगत नही है। मुआवजा राशि की जो मांग है वह बहुत अधिक हैं तथा मुआवजा राशि की जो मांग की गई हैं उसकी ताईद मैं बाजार दर की बाबत किसी प्रकार के दस्तावेजात पेश नही किये गये। ऐसी स्थिति मैं इस क्लेम को किस आधार पर माना जा सकता है। अतः क्लेम मान्य नही है।

भूमि अवाप्ति अधिकारी
नगर विकास न्यास
जयपुर

342

26. मुकदमा नम्बर 552/88 खसरा नम्बर 232 रकबा रकबा 50 बीघा 9बिस्वा

केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 6 के राजस्थान राज पत्र दिनांक 31-7-1989 में ग्राम मांग्यावास तहसील सांगानेर की भूमि खसरा नम्बर 232 रकबा 50 बीघा 9 बिस्वा रामसराय नारायण, किशन बुधा पि. 1/6 गुल्ला जीवन धन्ना पुत्र भोदू पि 1/6, बाबू, दुलाराम गोविन्दराम पिता नानू पि 1/4, छीतर मूलचन्द पिता धारसी पि. 1/4 कोम जाट सा. देह के नाम खातेदारी में दर्ज है। केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 9 व 10 के अन्तर्गत खातेदारों को नोटिस तामिल कुनिन्दा व रजिस्टर्ड, एवं दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से जारी किये गये। तामिल कुनिन्दा की हस्ब रिपोर्ट के अनुसार नोटिस खातेदारों को नोटिस तामिल कराया गया। नोटिस तामिल होने के पश्चात भी खातेदारों की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुए। दावेदारों की ओर से श्यामलाल शर्मा एडवोकेट उपस्थित होकर क्लेम पेश करने के लिए समय चाहा गया। उन्हें एक अन्तिम मौका दिया गया। लेकिन उनकी ओर से क्लेम पेश नहीं किया गया। रिट याचिका नम्बर 3574/91 के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय ने स्थगन आदेश जारी किया गया। स्थगन आदेश होने से पूर्व में अवार्ड पारित नहीं किया गया। अब माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन 116 अपीलों का निर्णय दिनांक 22-4-96 को राज्य सरकार/ जविप्रा के पक्ष में हो गया। स्वार्थ हित दावेदारान / खातेदारान को क्लेम पेश करने के लिए नोटिस / दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन कराया गया। उनकी ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुए। अतः उनकी ओर से उनके खिलाफ एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये।

27. मुकदमा नम्बर 541/88 खसरा नम्बर 134 रकबा 15बि.3 बि. 135 रकबा 12 बि. 136 रकबा 1बि.3बि. 137 रकबा 1बि. 138 रकबा 1बि.14 139 रकबा 9बि. ख.न. 140 2बि.7 बि., 141 रकबा 3बि. 142 रकबा 14 बि. 143 रकबा 1बि. 14 बि. 144 रकबा 3बि. 1 बि. 145 रकबा 2बि. 146 रकबा 4 बि. 147 रकबा 5बि. 1बि. 148 रकबा 3बि. 12बि. 149 रकबा 33 बि. 150 रकबा 4बि. 9बि. 151 रकबा 7बि.8बि. ख.न.214 रकबा 13बिस्वा, ख.न.72/242 रकबा 2बि.17बि. ख.न.75/250 रकबा 3बि.3बि - - -

मु.न. 557/88

केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 6 के राजस्थान राज पत्र दिनांक 31-7-1989 में ग्राम मांग्यावास तहसील सांगानेर की भूमि खसरा नम्बर 15बि. 3 बिस्वा 135 रकबा 12 बि. 136 रकबा 1बि. 3बि. ख.न. 137 रकबा 1बीघा ख.न. 138 रकबा 1बि. 14 बि. 139 रकबा 9बि. ख.न. 140 रकबा 2बि.7बि. ख.न. 141 रकबा 3 बि. ख.न. 142 रकबा 14 बि. ख.न. 143 रकबा 1बि. 14 बि. ख.न. 144 रकबा 3बि. 1 बि. ख.न. 145 रकबा 2बि. ख.न. 146 रकबा 4बि. ख.न. 147 रकबा 5 बि. 1 बि. ख.न. 148 रकबा 3बि. 12 बि. ख.न. 149 रकबा 13 बि. ख.न. 150 रकबा 4बीघा 9बिस्वा, ख.न. 151 रकबा 7बीघा 8 बिस्वा की खातेदारी धोला पुत्र रामना धा पि. 1/2 लच्छू गणेश नारायण पिता मोहरिया पि 1/2 की खातेदारी में दर्ज है। केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 9 व 10 के अन्तर्गत नोटिस

343

जारी किये गये । उपस्थित नही होने पर रजिस्टर्ड नोटिस दैनिक समाचार पत्रों के जरिए भी नोटिसों को तामिल कराया गया । खातेदारों की ओर से श्यामलाल शर्मा एडवोकेट उपस्थित होकर वकालतनामा पेश किया गया । तथा क्लेम पेश करने के लिए समय चाहा गया । जो उन्हें क्लेम पेश करने के कलए समय दिया गया । वकीलदावे दारान ने दिनांक 22/3 को आपत्तियां पेश की पेश की गई । दावेदार आपत्तियाँ धारा 5 ए की सुनवाई के समय ही पेश करनी चाहिए । अतः आपत्तियाँ को निरस्त की गई । दावेदार द्वारा जमा बन्दी की फोटो प्रति पेश की है उसके अनुसार भूमि खसरा नम्बर की खातेदारी बोदिया पुत्र छोटिया हि 1/3 रामनाथ पुत्र चन्दा हि1/3 भोरिया पुत्र ग्यारसा लाल पुत्र गंगाराम हि 1/3 कोम जाट के नाम दर्ज हैं । रामनाथ के बजाय छीतर पुत्र रामनाथ के नाम स्वीकार हुआ हिस्सा 1/3 तथा बोदिया के बजाय ना.स.50 के के अनुसार छीतर पुत्र रामनाथ के नाम स्वीकार हुआ । बाकि बदस्तूर रहा है । विक्रेय पत्र के अनुसार खसरा नम्बर 214 252 रकबा 8बिघा 10 बिस्वा बुध्दराम सुबेदार के नाम बजीय ख.न. 150/251 रकबा प्रभुदयाल पुत्र सुन्दरलाल ,धन्नालाल पुत्र सुन्दर लाल के नाम स्वीकार हुआ । तथा इस खाते मे अन्य नामान्तरकरणों अलग नामो से हस्तान्तरण हुआ है । अतः भुगतान के समय जिन व्यक्तियों के नाम राजस्व रेकार्ड में नाम हो गा भुगतान उसी को किया जावेगा । दिनांक 10-6-91 को श्यामलाल शर्मा एडवोकेट ने एक प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि हाल खसरा नम्बर 275,285/585 0.86 हैक्टर भूमि श्रीमति मूली पत्नि बदरीनारायण के नाम हो गया है । नो टिस इसी के नाम जारी किया जावे । साथ नामनान्तरकरण भी पेश किया गया है । खान 151 रकबा 7बिघा 8 बिस्वा बाबूलाल बद्रीनारायणपुत्र सुरजनारायण .श्रीमति मूली देवी केना हुआ तथा इसी तर कैलाश नारायण,बद्रीनारायण143रकबा 1बिघा 14 बिस्वा144रकबा 3बि. 1 बिस्वा का 1/2 का नामा के नाम स्वीकार हुआ ख.न. 135 रकबा रकबा 12 बि. का कैलाशनाराय ण बाबूलाल पुत्र बद्रीनारायण के नाम 1/6 स्वीकार ख.न. 149 रकबा 13 बि. ओम सुरेशनारायण पुत्र बदरीनारायण के 2/3 बाकि बदस्तुर रहा ख.न. 150/253 रकबा 3बि. 16 बि. ओमनारायणसुरेशनारायण पुत्र बदरीनारायण के नाम हि 1/6 हुआ ।ख.न. 151 रकबा 7बि.7बि. का ओमनारायण ,सुरेशनारायण पुत्र बद रीनारायणके नाम 1/3 हुआ । केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम का नोटिस धारा 9 व 10 का ख.न. 151 श्रीमति मूली देवी बदरीनारायण पुत्र सुरजनारायण के नाम जारी किया नोटिस दावेदारों द्वारा नही लेने पर मौके पर चस्पान्दगी द्वारा तामील कराया गया । ख.न. 143रकबा 1बि.14 बि. 144 रकबा 3बि. 1 बि. का कैलाशनारायण बाबूलाल के नाम जारी किया गया नही लेने पर दो गवाहो के समक्ष चस्पा कर दिया गया। इसी तरिह से खसरानम्बर 149 रकबा 150/25 3 , 151 का ओमनारायण सुरेशनारायण के नाम जारी किया गया । चस्पान्दगीय द्वारा तामी ल कराया गया । याचिका नम्बर 3563/91 के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश प्रभावी होने से पूर्व में अवार्ड जारी नही किया गया । अब माननीय उच्च न्यायालय से डी.बी मे

भूमि अवाप्ति अधिकारी
नगर विकास न्यास
जयपुर

344

विचाराधीन अपीलों का निर्णय दिनांक 22-4-96 को राज्य सरकार/ जेडीए के हित पक्ष होने से न्याय हित खातेदारान को क्लेम पेश करने के लिए नोटिस /दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से तामील कराया गया । खातेदारों ने नोटिस की तामील करते हुए नोटिस में ही अंकित कराया गया है उन्हें क्लेम पेश करने के लिए कम से कम 2 माह का समय दिया जावे । न्यायोचित को ध्यान में रखते हुए उन्हें समय दिया जाने के बाद भी अब तक भी क्लेम पेश नहीं किया गया । छीतर पुत्र रामनाथ ने भी दरख्वास्त में 1000/- रूपये की मुआवजे राशि की मांग के साथ 50% प्रतिशत विकसित भूमि की मांग की गई। जो न्याय संगत नहीं होने से मान्य नहीं है । क्लेम के साथ बाजार दर की बाबत किसी भी प्रकार के दस्तावेजात प्रस्तुत नहीं किये गये । ऐसी स्थिति में इनके द्वारा जो क्लेम किया गया है । यह मनघडन्त व बेबुनियाद है । इस योजना के तहत अन्य खातेदारान/ दावेदारान ललुराम कानाराम, श्रवण के साथ, छीतरपुत्र नारायण ,भूराराम कानाराम राधू रामकरण रामलाल रामसहाय पुत्र नानगा, लक्ष्मीनारायण पुत्र छैला जगदीश हनुमान छोटू पुत्र झुला ज्यारसा पुत्र नन्छा ,गोविदा पुत्र नन्दा ,लच्छु,गणेश नारायण, जगदीश पुत्र लालाराम ,बद्रीनारायण पुत्र लालाराम ,धुवा पुत्र माध्या ,रामेश्वर पुत्र नन्दालाल , प्रभुपुत्र माध्या, ,जगदीश छोटू आदि, भोज पुत्र गणेश ,श्योराम,लक्ष्मण,कल्याण, नन्दछोलाल , आदि , धुलालाल पु नानगराम छोटूराम पुत्र छोटू ,रामलाल पुत्र छोटू ,छीतर पुत्र धासी , रूपनाथ ,श्योराम धासी , श्योराम , भीर, धन्नालाल , प्रभुनारायण , धुवा , गंगाराम,गोपी,छोटू पुत्र नन्दा, छीतर, लच्छु,नारायणगणेश अद्दी आदि ने क्लेम 1000/- प्रति वर्ग गज के हिसाब से तथा 50% प्रतिशत विकसित योजना में मांग की गई है । क्लेम जो 1000/- रूपये की मांग की गई है । बाजार दर की बाबत धारा 4 (1) के समय के विक्रय पत्रों से सम्बन्धित किसी प्रकार के दस्तावेजात पेश नहीं किये गये है । अतः इनका जो क्लेम पेश किया गया है । वह निराधार व बेबुनियाद होने से मान्य नहीं है । स्टेवर्ड के बाबत इनके द्वारा इस क्लेम में किसी प्रकार का जिक्र नहीं किया गया है । खसरा नम्बर 75/250 रकबा 3बीघा 3बिस्वा,72/249 रकबा 2बी• 17बि• राज पत्र में रामेश्वर पुत्र नन्दालाल के नाम खातेदारी में दर्ज धारा 9 व 10 के नोटिस रजिस्टर्ड,दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन पश्चात भी उपस्थित नहीं हुए और क्लेम भी पेश नहीं किया । मा• उ• न्यायालय के निर्णय के पश्चात भी क्लेम पेश नहीं किया गया । अतः एकतरफा कार्यवाही की गई ।

:- मुआवजा निर्धारण :-

= = = = = = = = =

विभिन्न राज्यों के माननीय उच्च न्यायालयों द्वारा समय समय पर जो निर्णय कृषि भूमि के मुआवजा निर्धारण का तरीका धारा 4 के गजट नोटिफिकेशन के समय रजिस्ट्री द्वारा उस क्षेत्र में पंजीयन दर के अनुसार निर्धारण माना गया । पृथ्वीराज नगर योजना में धारा 4 (1) का गजट नोटिफिकेशन वर्ष 1988 को हुआ था । दिनांक 7-7-1988 इसलिये विभिन्न माननीय उच्च न्यायालयों के निर्णय के परिपेक्ष में 7 जुलाई 1988 को विभिन्न उप पंजियकों के यहां पृथ्वीराज नगर योजना के क्षेत्र

345

के क्षेत्र में भूमियों की रजिस्ट्रियां भी ज्यादा हो रही थीं । उस पर विचार करने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं रहता है ।

जहाँ तक उपरोक्त खसरा नम्बर के खातेदारों/ हितधारान हितधारान के मुआवजा निर्धारण का प्रश्न है । उपरोक्त कुछ प्रकरणों में क्लेम पेश किया गया तथा कुछ प्रकरणों में क्लेम पेश नहीं किया गया है तथा क्लेम पेश किया गया है तो उसकी ताईद में धारा 4(1) के नोटिफिकेशन के समय की विक्रय दरों के सम्बन्ध किसी प्रकार के दस्तावेजात प्रस्तुत नहीं किये गये । जिन्हें न्याय संगत नहीं होने से माना नहीं गया । जिनमे क्लेम भी प्रस्तुत नहीं किया गया तथा उपस्थित भी नहीं हुए उनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही की गई ।

जहाँ तक उपरोक्त खसरा नम्बर के खातेदारों/हितधारान

लेकिन नेचुरल जस्टिस के सिद्धान्तों के अनुसार इस सम्बन्ध में जयपुर विकास प्राधिकरण जिसके लिये भूमि अवाप्त की जा रही है का भी पक्ष ज्ञात किया गया । जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर सचिव ने अपने पत्र क्रमांक टी.डी.आर. /91/336 दिनांक 5-6-91 द्वारा इस सम्बन्ध में सूचित किया गया है कि धारा 4 के समय ग्राम माल्यावास तहसील सांगानेर की भूमि कृषि भूमियों की बाजार दर 10200/- रुपये प्रति बीघा के अनुसार भूमि का विक्रय हुआ था । इसलिए जहाँ तक इनके पक्ष का सम्बन्ध है यह दर उचित है ।

हमने इस सम्बन्ध में उपपंजीयक एवं तहसीलदार सांगानेर के यहाँ से अपने स्तर पर भी जानकारी प्राप्त की तो यह ज्ञात हुआ कि धारा 4(1) के नोटिफिकेशन के समय भूमि की दर इससे अधिक नहीं थी । तहसीलदार जयपुर विकास प्राधिकरण व जयपुर (1) ने भी अपने यू.ओ. नोट दिनांक 8-5-91 द्वारा तहसील सांगानेर में धारा 4(1) के नोटिफिकेशन के समय जमीन की विक्रय दर यही बताई गई है ।

लेकिन इस न्यायालय द्वारा पृथ्वीराज नगर योजना हेतु इसी ग्राम की भूमि जिसका पूर्व माननीय उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश से प्रभावी नहीं थी उसकी मुआवजा राशि 24000/- प्रति बीघा की दर से तय की गई है । तथा राज्य सरकार ने इसे अनुमोदन कर दिया गया तदनुसार घोषित किया गया था । जयपुर विकास प्राधिकरण के अभिभाषक श्री मदन लाल पुरोहित ने लिखित में उत्तर नहीं देकर मौखिक रूप से यह निवेदन किया गया कि पूर्व में इस योजना में घोषित किये गये अवार्डों के अनुसार ही 24000/- अंके चौबीस हजार रुपये प्रति बीघा की दर से तय की जाती है । तो जयपुर विकास प्राधिकरण को कोई आपत्ति नहीं है । अतः इन प्रकरणों में भी 24000/- अंके चौबीस हजार रुपये प्रति बीघा की दर से मुआवजा राशि का अवार्ड पारित किया जाता है ।

जहाँ तक पेड़, पौधे, कुए, भूमि पर स्थित स्ट्रेक्चर्स मकानात एवं अन्य स्ट्रेक्चर्स अगर कोई हो तो मुआवजा निर्धारण का प्रश्न है । कुछ प्रकरणों में खातेदारों/हितधारान द्वारा काफी बढ़ा चढ़ा तखमीना की मांग की गई है तथा किसी वेल्युवर से तस्दीक शुदा भी नहीं है । अतः ऐसी स्थिति में जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर द्वारा तकनीकी रूप से तैयार शुदा तखमीना को मानते हुए ही निर्धारण किया जाता है ।

भूमि अवाप्ति अधिकारी
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

346

जयपुर विकासप्राधिकरण जयपुर से तखमीना इस प्रकार से तैयार किया गया है । ख.न. 151 व 145 मे स्थित कुए का तखमीना 23,776/-, ख.न. 144 बिल्डिंग की राशि 1,87,320/- ख.न. 134 स्थित कुए व होदी की राशि 91,469/- ,ख.न. 133 कुआव होदी की राशि 74304/- ,ख.न. 123 कब्जा मे स्थित कुए की राशि 47043/- ख.न. 120 मे स्थित मकान की राशि 1,08,950.00,खसरा नम्बर 118 में स्थित बिल्डिंग की राशि 67115/- ,ख.न. 122में स्थित कुए की राशि 10968/-,ख.न. 125 में स्थित कुए व होदियों की राशि , 69,723/- ,ख.न. 53 में स्थित कुआ की राशि 69984/- ,ख.न. 232 मे स्थित कुए व होदीकी राशि 51936/- , बिल्डिंग नई होने से राशि तय नही की। खसरा नम्बर 232 में स्थित कुआ व होदी की राशि 93921/- ,खसरा नम्बर 106 मे स्थित कुए की राशि 29613/- ,ख.न. 88 में स्थित कुए की राशि रु 29613/- ख.न. [illegible] में स्थित कुए की राशि रु 19734/- ,ख.न.229 मे स्थित कुआ व होदी की राशि 48595/- ,ख.न. 99 मे स्थित कुए की राशि रु 20083,ख.न. 97 में स्थित कुए की राशि रु 29388/- ख.न. 69 में स्थित कुए की राशि रु 34544.00 ख.न. 65 मे स्थित बिल्डिंग की राशि 69809/- ,खसरा नम्बर80 में स्थित कुए की राशि रु 62657/- ख.न. 84 में स्थित कुए की राशि 64351/- ,ख;न. 74 में स्थित कुए की राशि रु 81838/- ख.न. में स्थित कुए की राशि 46034.00 ,ख.न. 75 में स्थित कुए की राशि 43546/- ,कुए की राशि 25104/- बिल्डिंग 1,32,090/- ख.न. 38 में कुए की राशि 37596/- ,ख.न. 46 में स्थित कुए की राशि रु. 38267/- ,ख.न. कुएकी 37 मे स्थित राशि रु.कुए 63508/- ,बिल्डिंग की राशि 58132/- ख.न. 35/245 राशि 41550.00 ख.न. 35/245 में स्थित कुए की राशि 73129 /- बिल्डिंग की राशि रु 44357/- ख.न. 35/246 मे स्थित कुए व होदी की राशि रु 44850/- ,बिल्डिंग 80550/- ख.न. 35/241 मे स्थित राशि रु. 91600/- बिल्डिंग की राशि रु 84000/- ख.न. 27 रुराशि रु 60100/- ,बिल्डिंग की राशि रु 50500/- ,ख.न. 29 में स्थित कुए की राशि रु 16452/- ख.न. 20 मे स्थित कुए की राशि रु 37161/- बिल्डिंग 2,85,904/- ,ख.न. 16 में स्थित कुए की राशि 37161/- ख.न. 1 में स्थित कुए का राशि 24,288/- ,ख.न. में स्थित कुए की राशि रु 24288/- ख.न. 10 में स्थित मे स्थित बिल्डिंग की राशि रु 17600/- कुए की राशि रु 27324/- ,ख.न. 22 मे [illegible] कुए की राशि रु 51568/- ख.न. 52 में स्थित कुए की राशि 88432/- खान.न 19 में स्थित कुए की राशि रु 85975/- ख.न. 194 में स्थित कुए की राशि रु,37161/- ख.न. 193 में स्थित कुए की राशि 79675/- ,ख.न. 195 में स्थित कुए की राशि 71059/- बिल्डिंग व टीन शेड आदि की राशि रु ~~2,62[illegible]/-~~ 2,62,700 आदि के अनुसार मु स्टेम्पर्स की राशि का निर्धारण किया जाता है । उपरोक्तानुसार ही सम्बन्धित सम्बन्धित खातेदारों को भुगतान किया जावेगा ।

इस सम्बन्ध में भूमि के मुआवजे की राशि का निर्धारण तो 24000/- रुपये प्रति बीघा की दर से करते हैं लेकिन मुआवजा राशि का भुगतान विधिक रूप से मालिकाना हक सम्बन्धित दस्तावेजात / राजस्व रेकार्ड आदि पेश करने पर ही किया जावेगा ।

भूमि अवाप्ति अधिकारी
जयपुर

347

केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 23(1-ए) 23(2) के अन्तर्गत मुआवजे की उपरोक्त राशि पर नियमानुसार 30% सोलेशियम एवं 12% अतिरिक्त राशि भी देय होगी। माननीय उच्च न्यायालय से स्थगन की अवधि का ब्याज आदि नियमानुसार देय नही है।

अतिरिक्त निदेशक (पदेन) तथा अधिकारी नगर विकास भूमि एवं भवन कर विभाग ने अपने पत्र क्रमांक 918 दिनांक 31-5-91 को इस कार्यालय को सूचित किया है कि पृथ्वी राज नगर योजना के 22 ग्राम समस्त 22 ग्राम जयपुर नगर संकुलन सीमा मे सम्मिलित है एवं शहरी अधिनियम 1976 से प्रभावित हैं। लेकिन उन्होने यह सूचना नही दी है कि शहरी अधिनियम की धारा 10(3) की अधिसूचना प्रकाशित करवा दी है अथवा नही। ऐसी स्थिति मे अवार्ड केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम के अन्तर्गत पारित किये जा रहे है।

यह अवार्ड दिनांक 24-7-96 को पारित कर राज्य सरकार को अनुमोदनार्थ प्रेषित किया जाता है।

भूमि अवाप्ति अधिकारी
नगर विकास योजनाएं, जयपुर।
नगर विकास योजनाएं
जयपुर

आज दिनांक 3/8/96 को राज्य सरकार के पत्रांक प.6(15)न.वि.आ/87 पार्ट जयपुर दिनांक 3/8/96 के द्वारा यह अवार्ड अनुमोदन होकर प्राप्त हुआ जिसे सैर इजलास घोषित किया जाता है। अवार्ड की प्रतिलिपि सचिव जे.डी.ए. को मुआवजा राशि निकलवाने हेतु प्रेषित हो तथा स्टेकहोल्डर्स को धारा 12(2) केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम के तहत नोटिस जारी हो।

भूमि अवाप्ति अधिकारी
नगर विकास योजनाएं
जयपुर

166

अर्जन्ति भूमि अवाप्ति अधिकारी नगर विकास परियोजनाएँ, जयपुर ।
(जयपुर विकास प्राधिकरण भवन)

क्रमांक:भू.अ./नवि/91/ 152 - 53 दिनांक: 16/1/92

:: कार्यालय आदेश ::

: शुद्धि पत्र :

जयपुर विकास प्राधिकरण की प्रस्तावित पृथ्वीराजनगर योजना में मुकदमा संख्या 531/88, 523/88, 538/88 ग्राम माचवा तह० सांगानेर ..... खसरा नम्बर 75, 76, 41, 44, 49 ..... 121 .... का अवार्ड दिनांक 30-7-91 ..... को घोषित किया जाकर फाईल किया गया था । सम्बंधित योजना सहायक द्वारा पत्रावली एवं अवार्ड के मिलान करने पर कुछ टंकण/लिपिकिय त्रुटिया ज्ञात हुई है । जिन्हे शुद्ध किया जाना आवश्यक है । इस प्रकार की अशुद्धिया केन्द्रिय भूमि अवाप्ति अधिनियम 1894 (1984 का अधिनियम संख्या 1) की धारा 13-ए के अन्तर्गत टंकण/लिपिकिय सम्बंधी त्रुटियों को निम्न प्रकार से संशोधित किया जाता है । यह संशोधन पत्र मूल अवार्ड के साथ संलग्न रहेगा ।

संशोधन निम्न प्रकार होगा :-

(1) मु०न० 531/88 खसरा नम्बर 75, 76 के अवार्ड घोषित दिनांक 30-7-91 के पृष्ठ 1 एवं परिशिष्ठ के पृष्ठ सं. 1 के कालम 3 पर छीतर, जगदीश, बद्री पि. लालाराम, गोविन्दा पु. चन्दा खाती सा. देह के स्थान पर छीतर, जगदीश बद्री पि. लालाराम, गोविन्दा पुत्र चन्दा खाती सा. देह पढा जावें ।

(2) मु०न० 523/88 ख०न० 41, 44, 49, के अवार्ड घोषित दिनांक 30-7-91 के पृष्ठ सं. 1 पर हरिनारायण उर्फ लल्लुराम पुत्र आनन्दीलाल कोम ब्राहण सा. देह के स्थान पर हरिनारायण उर्फ लल्लु पुत्र आनन्दीलाल कोम ब्रा. सा. देह पढा जावें ।

(3) मु०न० 538/88 ख०न० 121 के अवार्ड घोषित दिनांक 30-7-91 के परिशिष्ठ ए के पृष्ठ सं. 1 के कालम 3 पर काना पुत्र बालु कोम खाती सा. देह के स्थान पर कान्या पुत्र बालु कोम खाती सा. देह पढा जावें ।

Checked
संशोधित

भूमि अवाप्ति अधिकारी
नगर विकास परियोजनाएं, जयपुर ।

प्रतिलिपि :-
(1) उपविधि परामर्शी, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर ।
(2) सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर ।

भूमि अवाप्ति अधिकारी
नगर विकास परियोजनाएं, जयपुर ।